रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-3.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 1, 1993/ज्येष्ठ 11, 1915
No. 320] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 1, 1993/JYAISTHA 11, 1915

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 1993

का.आ. 350 (अ) :—भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत लोक सभा अध्यक्ष का दिनांक 1 जून, 1993 का निम्नलिखित विनिश्चय एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है :—

"माननीय लोक सभा अध्यक्ष के समक्ष

7 अगस्त, 1992 को जनता दल विधान मंडल दल के 20 सदस्यों द्वारा दायर आवेदन के विषय में

तथा

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा सर्वश्री राम सुन्दर दास, गोविन्द चन्द्र मुंडा, गुलाम मोहम्मद खां तथा राम वदन, संसद सदस्यों के विरुद्ध दायर चार याचिकाओं के विषय में

तथा

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा सर्वश्री अनादि चरण दास, सूर्य नारायण यादव, राम लखन सिंह यादव, राम शरण यादव, रोशन लाल, अर्जुन सिंह यादव, अभय प्रताप सिंह तथा उपेन्द्र नाथ वर्मा, संसद सदस्यों के विरुद्ध दायर आठ याचिकाओं के विषय में

तथा

श्री श्रीकान्त जैना द्वारा (एक) सर्वश्री अजित सिंह, रशीद मसूद, हरपाल पंवार तथा सत्यपाल सिंह यादव तथा (दो) सर्वश्री राजनाथ सोनकर शास्त्री, रामनिहोर राय, राम अवध तथा शिवशरण वर्मा, संसद सदस्यों के विरुद्ध दायर दो संयुक्त याचिकाओं के विषय में ।

तथ्य

तर्क के मुख्य मुद्दे

1. जनता दल के 59 सदस्य दसवीं लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए । श्री वी.पी. सिंह जनता दल संसदीय दल के नेता थे ।

2. 7-8-1992 को सर्वश्री राम लखन सिंह यादव, राम शरण यादव, राम सुन्दर दास, उपेन्द्र नाथ वर्मा, सूर्य-नारायण यादव, गोविन्द चन्द्र मुन्डा, अनादि चरण दास, अजित सिंह, रशीद मसूद, हरपाल पवांर, अभय प्रताप सिंह, गुलाम मोहम्मद खां, राम निहोर राय, राम बदन, राम अवध, आर. सोनकर शास्त्री, शिवशरण वर्मा, सत्यपाल सिंह यादव, अर्जुन सिंह यादव तथा रोशन लाल ने अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र दिया जिसमें कहा गया कि उन्हें लोक सभा में अलग सीटें दी जाए । इस पर "बी-1" चिन्हित् किया गया है ।

3. इस आवेदन पत्र पर लोक सभा के उपरोक्त 20 सदस्यों के हस्ताक्षर थे तथा चार अन्य सदस्यों के भी हस्ताक्षर थे । ये चार हस्ताक्षरकर्ता अध्यक्ष को आवेदन पत्र देते समय उन 20 सदस्यों के साथ नहीं गए थे ।

4. इन 20 सदस्यों को आवेदन पत्र पर पुनः हस्ताक्षर करने को कहा गया ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके कि इन्होंने स्वेच्छा से आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं ।

5. उक्त आवेदन पत्र की एक फोटो प्रति श्री वी.पी. सिंह के पास उनकी टिप्पणी के लिए भेजी गई ।

6. श्री वी.पी. सिंह ने अपना लिखित वक्तव्य 11-8-92 को भेजा।

7. उनके लिखित वक्तव्य में सारत : निम्नलिखित बातें कही गयीं थीं :

(एक) सर्वश्री अजित सिंह, रशीद मसूद, हरपाल पंवार तथा सत्यपाल सिंह यादव सभी लोक सभा सदस्यों को जनता दल के अध्यक्ष श्री एस. आर. बोम्मई द्वारा जनता दल की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था । श्री अजित सिंह को 26-12-1991 को निष्कासित किया गया था । तीन अन्य सदस्यों को जनवरी, 1992 के माह में निष्कासित किया गया था ।

(दो) सर्वश्री आर. सोलकर शास्त्री, रामनिहोर राय, राम अवध तथा शिव शरण वर्मा, सभी लोक सभा सदस्यों को जनता दल के अध्यक्ष श्री एस.आर. बोम्मई द्वारा जनता दल की प्राथमिक सदस्यता से 19-7-1992 को निष्कासित किया गया था ।

(तीन) इसलिए उपरोक्त आठ सदस्यों को जनता दल विधान मंडल पार्टी की सदस्यता भी समाप्त हो गई ।

(चार) इसलिए ये सदस्य उन 20 सदस्यों के ग्रुप का अंग नहीं बन सकते जो अपने मूल दल अर्थात् जनता दल से अलग होना चाहते हैं ।

(पांच) सर्वश्री राम सुन्दर दास, गोविन्द चन्द्र मुन्डा, गुलाम मोहम्मद खां तथा राम बदन सभी लोक सभा सदस्यों ने उन व्हिपों का उल्लंघन किया जो 17-7-1992 को सरकार विरुद्ध पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत देने के लिए उन्हें जारी किये गये थे । भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के नियम 2(1) (ख) के उपबन्धों के अधीन वे निरर्ह हो गए हैं तथा 17-7-1992 से वे लोक सभा के सदस्य नहीं रहे हैं ।

(छह) इस प्रकार 20 सदस्यों में से 12 सदस्य निरर्हित हो गए थे और लोक सभा के सदस्य नहीं रहे ।

(सात) सर्वश्री रामशरण यादव, अभय प्रताप सिंह, रामलखन सिंह यादव, अनादि चरण दास, रोशन लाल, अर्जुन सिंह यादव, उपेन्द्रनाथ वर्मा और सूर्य नारायण यादव—लोक सभा के ये सभी आठ सदस्य जनता दल संसदीय दल के एक तिहाई सदस्यों का ग्रुप नहीं बना सके जो भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 3 के उपबंध के अनुसार जनता दल से पृथक हो सके । वे सभी दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के अधीन निरर्हित हुए और 7-8-1992 से लोक सभा के सदस्य नहीं रहे ।

(आठ) इसलिए, उपर्युक्त 20 सदस्यों का आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए ।

8. दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) के निबंधनों के अनुसार श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, ने सर्वश्री राम सुन्दर दास, गोविन्द चन्द्र मुंडा, गुलाम मोहम्मद खां और राम बदन, सभी लोक सभा सदस्यों, के विरुद्ध 11-8-1992 को याचिकाएं दायर की ।

9. सार रूप में, याचिकाओं में संगत मुद्दे एक समान हैं । वे इस प्रकार से हैं :

(एक) प्रत्यर्थियों को सरकार के विरुद्ध पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत देने का निर्देश दिया गया था ।

(दो) 17-7-1992 को उपर्युक्त प्रस्ताव पर मतदान हुआ ।

(तीन) प्रत्यर्थियों ने मतदान में भाग नहीं लिया और उन्हें जारी किए गए व्हिप का स्वेच्छा से उल्लंघन किया ।

(चार) इसलिए, वे निरर्हित हो गए और 17-7-1992 से लोक सभा के सदस्य नहीं रहे ।

(पांच) याचिकादाता ने इस आशय की घोषणा करने की मांग की ।

10. प्रत्यर्थियों ने 19-8-1992 को अपने लिखित वक्तव्य दायर किए ।

सार रूप में उन्होंने कहा कि :

(एक) उन्होंने व्हिप का उल्लंघन स्वैच्छा से नहीं किया था ।

(दो) उन्होंने प्रस्ताव पर पार्टी के निदेशानुसार मत देने का प्रयास किया था।

(तीन) परन्तु, प्रत्येक लिखित वक्तव्य के पैरा 11 में दिए गए कारणों की वजह से वे उन्हे जारी किए गए व्हिपों का पालन नही कर सके।

(चार) उनके कार्य अनैच्छिक थे और इसलिए उन्हें निरर्हित नही किया जा सकता था।

11. श्री राम सुन्दर दास ने अपने लिखित वक्तव्य के पैरा 11 मे सार रूप में कहा है कि—

(एक) अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान वाले दिन वह संसद ग्रंथालय में आराम कर रहे थे क्योंकि रक्तचाप के कारण उनकी तबियत ठीक नही थी।

(दो) जब मत विभाजन घंटी बजी तो वह लोक सभा कक्ष की ओर दौड़े।

(तीन) तथापि, जिस समय वह लोक सभा कक्ष में प्रवेश-द्वार तक पहुंचे उस समय द्वार बंद हो चुके थे और वह कक्ष में प्रवेश नही कर सके।

(चार) वह प्रस्ताव के पक्ष मे मतदान करना चाहते थे लेकिन वह नही कर सके।

(पाच) मतदान न करने का उनका कार्य अनैच्छिक था।

(छह) अतः वह निरर्हित नही किये जा सकते।

12. श्री गोविंद चन्द्र मुंडा ने अपने लिखित वक्तव्य के पैरा 11 मे, सारांश में, कहा है कि :—

(एक) वह 15, 16 और 17 जुलाई, 1992 को स्वस्थ नही थे और सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस के कारण गर्दन और शरीर में तीव्र दर्द से पीड़ित थे।

(दो) 17-7-1992 को उन्होंने लोक सभा के प्रातः कालीन सत्र में भाग लिया। लेकिन दोपहर बाद वह अस्वस्थ होने के कारण अपने घर चले गये और उन्होंने कुछ हर्बल औषधि ली जिससे वह मूर्च्छित हो गये।

(तीन) वह प्रस्ताव पर मतदान करना चाहते थे। उन्होंने अपने दल के नेता को सूचित किया था कि यदि सभा मे मतदान के लिए उनकी उपस्थिति अपेक्षित है तो उन्हें प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए डाक्टर की अनुमति से एम्बूलेंस मे लोक सभा ले जाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नही किया गया।

(चार) उनका मतदान में अनुपस्थित रहना अनैच्छिक था।

(पांच) अतः वह निरर्हित नहीं किये जा सकते।

13. श्री गुलाम मोहम्मद खां ने अपने लिखित वक्तव्य के पैरा संख्या 11 में, सारांश में, कहा है कि—

(एक) वह मधुमेह और अन्य बीमारियों से पीड़ित थे और वह 17-7-1992 को और उससे दो दिन पहले तक स्वस्थ नहीं थे।

(दो) उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया था और 17-7-1992 को वह अस्पताल में थे।

(तीन) वह प्रस्ताव पर मतदान करना चाहते थे।

(चार) अतः उन्होंने दल के नेता को सूचित कर दिया था कि यदि सभा में उनकी उपस्थिति जरूरी है तो उन्हे डाक्टर की अनुमति से सभा में ले जाया जा सकता है।

(पांच) मतदान न करने का उनका कार्य अनैच्छिक था।

(छह) अतः वह निरर्हित नहीं किये जा सकते।

14. श्री राम बदन ने अपने लिखित वक्तव्य के पैरा 11 में कहा है कि :—

(एक) वह 17-7-1992 को लोक सभा में उपस्थित थे और उन्होंने प्रस्ताव के समर्थन में बटन दबाया था।

(दो) उनकी नजर कमजोर है। अतः वह बोर्ड की तरफ देख कर यह पता नहीं लगा सके कि उनका वोट सही ढंग से रिकार्ड हुआ है या नही।

(तीन) उन्होंने सभा मे परिचर से, जो सदस्यों को अपने गलत रिकार्ड किए गये वोट में शुद्धि करने के लिए पर्चियां दे रहा था, पूछा था कि क्या उनका वोट रिकार्ड हो गया है। परिचर ने उन्हें सूचित किया था कि उनका वोट रिकार्ड हो गया है।

(चार) बाद में उन्हें पता चला कि उनका वोट रिकार्ड नही हुआ है।

(पाच) वह प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करना चाहते थे।

(छह) उन्होंने स्वैच्छिक रूप से व्हिप का उल्लंघन नहीं किया था।

(सात) अतः वह निरर्हित नही किये जा सकते ।

15. दसवी अनुसूची के पैरा 2(1) (क) के संबंध मे श्री वी पी. सिह ने 22-8-1992 को सर्वश्री राम शरण यादव, अभय प्रताप सिह, रामलखन सिह यादव, अनादिचरण दास, रोशन लाल, अर्जुन सिह यादव, उपेन्द्रनाथ वर्मा तथा सूर्य नारायण यादव, सभी लोक सभा के सदस्य, के विरुद्ध आठ याचिकाए प्रस्तुत की ।

16. साराश मे, प्रतिवादियो के नामो को छोड़कर, याचिकाओ का विषय एक समान है तथा प्रतिवादियो के नाम इस प्रकार है —

(एक) सर्वश्री अजित सिह, रशीद मसूद, हरपाल पवार, सत्यपाल सिह यादव, आर. सोनकर शास्त्री, रामनिहोर राय, राम अवध और शिवशरण वर्मा को पार्टी अध्यक्ष श्री एस.आर बोम्मई द्वारा जनता दल की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था । अत उन्होने विधानमंडल दल की अपनी-अपनी सदस्यता खो दी थी। उन्होने एक ग्रुप बना लिया।

(दो) सर्वश्री राम सुन्दर दास, गोविन्द चन्द्र मुडा, गुलाम मोहम्मद खा तथा राम बदन ने 17-7-1992 को उन्हे जारी किये गये व्हिप का उल्लंघन किया था तथा दसवी अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) के अधीन निरर्हित हो गए थे और 17-7-1992 से लोक सभा के सदस्य नही रहे । उन्होने दूसरा ग्रुप बना लिया।

(तीन) आठ प्रत्यर्थियो ने तीसरा ग्रुप बना लिया।

(चार) तीन ग्रुप एक ऐसा संयुक्त ग्रुप नही बना सके जिसमे वे निरर्हित हुए बिना जनता दल से अलग हो सके ।

(पांच) प्रत्यर्थी दसवी अनुसूची के पैरा 3(क)(1) मे उपबंधित उन्मुक्ति का लाभ नही उठा सके क्योकि 7-8-1992 को उनकी संख्या जनता दल के 51 सदस्यो की सख्या का एक-तिहाई नही थी क्योंकि निष्कासित किये गये आठ सदस्यो को तथा उन चार सदस्यो को जो 17-7-1992 से लोक सभा के सदस्य नही रह गये थे, उनके साथ ग्रुप मे नही गिना जा सका था ।

(छ) जैसा कि अपेक्षित है, जनता दल का संसद के बाहर विभाजन नही हुआ था, जिससे जनता दल विधान मंडल दल का विधिक रुप मे विभाजन हो सके ।

(सात) याचिकादाता ने इस आशय की घोषणा करने की प्रार्थना की है कि प्रत्यर्थी निरर्हित हो गये है तथा 7-8-1992 से लोक सभा के सदस्य नही रहे है ।

17 प्रत्यर्थियो ने 31-8-1992 को अपने-अपने लिखित वक्तव्य दाखिल किये ।

18 सार रूप मे उनमें यह कहा गया है कि :

(एक) सविधान की दसवी अनुसूची के अनुसार दल के नेताओ द्वारा आठ सदस्यो को निष्कासित नही किया जा सका ।

(दो) चार सदस्यो ने स्वेच्छा से मतदान में भाग नही लिया तथा स्वेच्छा से व्हिप का उल्लघन नही किया था तथा लोक सभा से उनकी सदस्यता समाप्त नही हुई थी ।

(तीन) 7-8-1992 को जनता दल विधान मडल दल के 59 सदस्य थे ।

(चार) 7-8-1992 को जनता दल विधान मडल दल विभाजित हो गया था ।

(पाच) जिन 20 सदस्यो ने एक ग्रुप बनाया था तथा जो जनता दल विधायक दल की सदस्य-सख्या के एक-तिहाई से अधिक थे, और जिन्होने अलग बैठने की अनुमति मागी थी, तथा दल मे विभाजन किया था, वे अनर्हता के पात्र नही थे तथा भारत के संविधान की दसवी अनुसूची के पैरा 3(क) (एक) के उपबध को देखते हुए लोक सभा के सदस्य बने रहे ।

(छ) अजित सिह गुट ने मूल जनता दल होने का दावा किया ।

(सात) अत याचिकायें अस्वीकार की जानी चाहिये थी ।

19. लोक सभा सदस्य तथा जनता दल के संसदीय दल के मुख्य सचेतक श्री श्रीकात जेना ने 3-10-1992 को दसवी अनुसूची के पैरा 2(1)(क) तथा पैरा 6 के अधीन सर्वश्री अजित सिह, रशीद मसूद, हरपाल पवार और सत्यपाल सिह यादव के विरुद्ध एक याचिका दायर की ।

20 सक्षेप मे, याचिका मे उठाई गई मुख्य बाते है .—

(एक) प्रतिवादियो ने दावा किया कि 5-2-1992 को जनता दल का विभाजन हुआ था और श्री अजित सिह के नाम का दल के अध्यक्ष के रूप मे अनुमोदन किया गया ।

(दो) जब 5-2-1992 को विभाजन हुआ, तो इसमे लोक सभा के केवल चार सदस्य थे जो दल को विभाजित करने वाले ग्रुप के सदस्य थे।

(तीन) भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 3(क) (एक) के अध्यधीन उन्मुक्ति पाने हेतु चार सदस्य, लोक सभा में जनता दल के सदस्यों के एक-तिहाई के बराबर नहीं थे।

(चार) जनता दल के चार सदस्य अनर्हता के पात्र हो गए तथा व्हिप का उल्लघन करने के कारण 17–7–1992 को लोक सभा से उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है ।

(पाच) याचिकादाता ने कहा था कि चार प्रतिवादियों तथा चार अन्य सदस्यों को जनता दल की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया गया था और इस प्रकार ससद में जनता दल की उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी ।

(छ) प्रतिवादियों द्वारा दायर किए गए लिखित वक्तव्यों तथा चुनाव आयोग के समक्ष दिए गए वक्तव्यों में की गई इस स्पष्ट स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने 5–2–1992 को पार्टी का विभाजन किया था, याचिकादाता प्रार्थना करता है कि यह घोषणा की जाये कि प्रतिवादी अनर्हता के पात्र हो गए तथा 5-2-92 से लोक सभा में उनकी सदस्यता समाप्त हो गई।

21. प्रतिवादियों ने 4–11–1992 को अपना लिखित वक्तव्य दिया।

22 सारांश में प्रतिवादियों का कहना है कि ––

(एक) याचिकादाता को अनुमोदन तथा निरनुमोदन की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

(दो) याचिकादाता यह नहीं कह सकता कि प्रतिवादी जनता दल तथा जनता दल ससदीय दल के सदस्य नहीं है, क्योंकि उन्हें दल से निकाल दिया गया था और कि उन्हें अनर्ह घोषित किया जाए तथा 5-2-1992 से लोक सभा से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए।

(तीन) प्रतिवादियों का ग्रुप वास्तविक जनता दल है और इसलिए ससद में दल के सभी सदस्य उनके ग्रुप से संबंधित है, जब तक कि वे विशेष रूप से अन्यथा घोषणा नहीं करते ।

(चार) प्रतिवादी याचिका में दी गई अन्य बातों से इनकार करते है ।

(पाच) प्रतिवादी प्रार्थना करते है कि याचिका खारिज की जाए।

23 3 अक्तूबर, 1992 को लोक सभा सदस्य तथा जनता दल संसदीय पार्टी के मुख्य सचेतक श्री श्रीकांत जेना ने भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (1) (क) के सदर्भ में सर्वश्री राजनाथ सोनकर शास्त्री, रामनिहोर राय, राम अवध तथा शिव शरण वर्मा, के विरुद्ध एक याचिका दायर की।

24 याचिकादाता के कहने का सार यह है कि .

(एक) श्री अजित सिंह और तीन अन्य सदस्यों को, जो इस मामले में प्रतिवादी है, दल से निकाल दिया गया था;

(दो) श्री राम सुन्दर दास और तीन अन्य सदस्यों ने व्हिप का उल्लघन किया था, और इसलिए वे अनर्हता के पात्र हो गये और 17 जुलाई, 1992 से वे लोक सभा के सदस्य नहीं रहे ।

(तीन) श्री अजित सिंह तथा अन्य ससद सदस्यों ने स्पष्ट शब्दों में यह दावा किया कि 5 फरवरी, 1992 को उनका जनता दल से विभाजन हो गया था और उनका सबध उस घटक से है जो असली जनता दल है । यह दावा उन्होंने अपने द्वारा दिये गए लिखित बयानों में तथा चुनाव आयोग के समक्ष दिये गए बयानों में किया था ।

(चार) इस प्रकार श्री अजित सिंह और तीन अन्य ससद सदस्यों ने सविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 3(ख) के अनुसार पृथक दल का गठन किया था।

(पाच) 7 अगस्त, 1992 को 20 ससद सदस्यों ने लोक सभा अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र दिया जिसमें उनके दल से अलग होने की घोषणा करने और उन्हें लोक सभा में बैठने के लिए पृथक स्थान निर्धारित करने का अनुरोध किया गया था ।

(छ) चूंकि श्री अजित सिंह तथा तीन अन्य ससद सदस्यों ने एक पृथक दल का गठन कर लिया था। इसलिए वे जनता दल के उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हो सकते थे जो मूल जनता दल से अलग हुआ था।

(सात) शेष 16 सदस्य ससदीय जनता दल के एक तिहाई सदस्यों का ग्रुप नहीं थे । अतः वे अनर्हता के पात्र हो गये ।

(आठ) इस तरह प्रतिवादी अनर्हता के पात्र हो गये तथा वे दसवीं अनुसूची के पैरा 3 (क) (एक) के अनुसार उन्मुक्ति प्राप्त न करने के कारण उसी अनुसूची के पैरा 2(1) (क) के अतर्गत 7 अगस्त, 1992 से लोक सभा के सदस्य नहीं रहे

25 प्रतिवादियों ने 4 नवम्बर, 1992 को अपने लिखित बयान दायर किए।

26 सक्षेप में, प्रतिवादियों का कहना है कि .––

(एक) याचिकादाता को अनुमोदन करने तथा निरनुमोदन करने की अनुमति न दी जाए।

(दो) वे दसवीं अनुसूची के पैरा 3(क) (एक) के अतर्गत उन्मुक्ति का दावा करते है।

(तीन) जनता दल के जिस घटक के वे सदस्य है वही असली जनता दल है तथा इस तरह संसद में जनता दल के सभी सदस्य उनके घटक के सदस्य है जब तक कि वे अन्यथा दावा न करे ।

(चार) अन्य सदस्यो द्वारा व्हिप का उल्लघन करने के कारण उन्हे दल से निकाले जाने तथा अनर्ह ठहराने संबधी सभी बाते तथा अन्य बातो का भी इन्कार किया जाता है ।

(पाच) प्रतिवादी प्रार्थना करते है कि याचिका खारिज की जाए।

कार्यवाही किस तरह संचालित की गई थी ?

27 20 सदस्यों द्वारा दिया गया आवेदन तथा श्री वी पी सिह द्वारा दायर की गई 12 याचिकाओं तथा श्री श्रीकात जेना द्वारा दायर 2 याचिकाओ में कई बाते एक जैसी है । अत पक्षकारो की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि सभी याचिकाओं तथा आवेदन पर एक साथ सुनवाई की जाएगी तथा निर्णय लिया जाएगा।

28 विवाद के पक्षकारो को अपने मुकदमो की स्वय तथा अपने वकीलो के माध्यम से पैरवी करने की अनुमति दी गई । उन्होने अपने अभिवादन दायर किए, गवाहों से पूछताछ की तथा अपने वकीलो के माध्यम से बहस की जिन्होने कानून के बिन्दुओं और तथ्यो पर अपना कार्य अत्युत्तम, सदभावपूर्ण एव न्यायोचित ढग से किया।

29. मोटे तौर पर सिविल प्रक्रिया सहिता का पालन कार्यवाही चलाने में किया गया।

30 जहा कही भी सिविल प्रक्रिया, सहिता का पालन नही किया जा सका उस स्थिति मे स्वाभाविक न्याय के सिद्धाता का पालन किया गया।

31. लोक सभा में राजनीतिक दलो के नेताओ को कानूनी मुद्दो पर मौखिक रूप से और साथ ही लिखित रूप से अपना मत व्यक्त करने की अनुमति दी गई थी ।

32 कार्यवाही को देखने और समाचारर पत्रो तथा प्रचार माध्यम द्वारा इसे प्रकाशित एव प्रसारित करने की अनुमति दी गई थी ।

33 पक्षकारो द्वारा दस्तावेजो एव मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए ।

34. पक्षकारो के वकीलो ने विस्तृत दलीलें पेश की जो 20 घटे तक जारी रही ।

35 साक्ष्य एव दलीलो का शब्दश रिकार्ड किया गया। वे आडियो कैसेट के रूप मे भी उपलब्ध है ।

36 अभिवचनो साक्ष्यो, एव दलीलो की पुस्तिकाओ के रूप मे सकलित किया गया है।

37 मामले से सबधित मुद्दो को सूचीबद्ध किया गया और उस पर साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई और दलीले सुनी गई ।

38 पक्षकारो को सुनने के बाद मामले से सबधित मुददो को अतिम रूप दिया गया। तथापि, बहस करते समय पक्षकार मामले से सबधित मुद्दो पर दृढतापूर्वक कायम नही रहे ।

बाद के पैराग्राफो मे दिए गए निर्णय मे मुद्दो के निष्कर्षों को सामान्य रूप से प्रस्तुत किया गया है ।

मुद्दे

दस्तावेज 'डी1" से सबधित मुद्दे

(एक) क्या भारत के सविधान, किसी अन्य कानून अथवा लोक सभा के प्रक्रिया सबधी नियमो के अन्तर्गत दस्तावेज "डी1" दायर किया गया है ?

(दो) हस्ताक्षरकर्ता "डी1" के अन्तर्गत क्या दावा करते है ?

(तीन) भारत के सविधान की दसवी अनुसूची के अन्तर्गत दावे कब और किस प्रकार से सिद्ध किये जायेंगे ?

(चार) क्या किसी राजनैतिक दल का नेता अपने दल के किसी सदस्य को पार्टी से निष्कासित कर सकता है और विधायी दल की उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है जिससे भारत के सविधान, अन्य कानूनो अथवा लोक सभा के प्रक्रिया सबधी नियमो के अन्तर्गत सदस्य को प्राप्त उसके अधिकारो, दायित्वो और उन्मुक्तियो मे परिवर्तन हो सके ?

(पाच) सदस्यो को उनके दल से निष्कासित किये जाने के बाद उनके दल के नेता के कहने पर सदस्यो के पृथक बैठने का अभिप्राय क्या है ? क्या भारत के सविधान की दसवी अनुसूची की व्याख्या करने तथा इसे प्रवर्तित करने मे इनका कोई महत्व है ?

(छ) सदस्यो का अपने आप दल के सदस्यो से पृथक बैठने का क्या अभिप्राय है । क्या भारत के सविधान की दसवी अनुसूची की व्याख्या करने तथा इसे प्रवर्तित करने के लिए इसका कोई महत्व है ?

(सात) क्या आदेश किया जाए ?

व्हिप के उलघन से सबधित मुद्दे

(एक) क्या याचिकादाता यह सिद्ध करता है कि प्रतिवादी ने स्वेच्छा से व्हिप का उलघन किया और यदि हा, तो क्या प्रतिवादी को 17-7-1992 से ससद की सदस्यता से वचित कर दिया गया ?

(दो) क्या प्रतिवादी यह सिद्ध करता है कि वह स्वेच्छा से मतदान से विरक्त नही रहा ?

(तीन) क्या आदेश किया जाए ?

स्वेच्छा से राजनैतिक दल की सदस्यता छोड़ने संबंधी मुद्दे

(एक) क्या याचिकादाता यह सिद्ध करता है कि प्रतिवादी दस्तावेज "डी" पर हस्ताक्षर करने के कारण भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के अन्तर्गत अनर्ह करार किये जाने योग्य हो गया है ?

(दो) क्या प्रतिवादी यह सिद्ध करता है कि दसवीं अनुसूची के पैरा 3 द्वारा उपलब्ध कराई गई उन्मुक्तियां उसे प्राप्त हैं ?

(तीन) क्या आदेश किया जाए ?

श्री अजित सिंह और तीन अन्य लोगों के मामलों से संबंधित मुद्दे

(एक) क्या याचिकादाता यह सिद्ध करता है कि जनता दल पार्टी का एक अलग गुट गठित करके श्री अजित सिंह और तीन अन्य लोग भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के अन्तर्गत अनर्ह ठहराये जाने के योग्य हो गए हैं ?

(दो) क्या प्रतिवादी यह सिद्ध करते हैं कि दसवीं अनुसूची के पैरा 3 द्वारा दी गई उन्मुक्तियां उन्हें प्राप्त हैं ?

(तीन) क्या आदेश किया जाए ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री तथा तीन अन्य सदस्यों के मामले से संबंधित मुद्दे

(एक) क्या याचिकादाता ने यह प्रमाणित किया है कि श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री तथा तीन अन्य सदस्य दस्तावेज डी–1 के हस्ताक्षरकर्ता होने के कारण भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के अंतर्गत अनर्ह हो गये हैं।

(दो) क्या प्रतिवादियों ने यह प्रमाणित किया है कि दसवीं अनुसूची के पैरा 3 द्वारा प्रदान की गई छूट उन्हें उपलब्ध है ?

(तीन) आदेश क्या दिया जाए ?

कानूनी मुद्दे

39. कार्यवाहियों के दौरान कुल मिलाकर निम्नलिखित कानूनी मुद्दों पर चर्चा की गई।

दल बदल विरोधी कानूनों की किस प्रकार व्याख्या की जाये

40. भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची को दल-बदल विरोधी कानून समझा जाता है और मुख्यत: इसी रूप में इसे जाना जाता है ।

41. इसे निर्वाचित जन प्रतिनिधियों द्वारा विधान मण्डलों में दल बदल किये जाने के घातक रोग पर रोक और नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है।

42. इसके अस्तित्व में आने से पूर्व विधायक अपनी इच्छा से मत दे सकते थे अपने दलों को छोड़ सकते थे और अन्य दलों में शामिल हो सकते थे और उन पर कोई दायित्व नहीं ठहरता था अथवा उन्हें अनर्ह नहीं किया जा सकता था अथवा ना ही उनकी विधान मण्डल की सदस्यता समाप्त की जा सकती थी । उन्हें मत देने की, किसी दल में शामिल होने की अथवा कोई नया दल बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त थी । उनका यह अधिकार अन्य नागरिकों के समान ही था। अन्य देशों के संसद सदस्यों को भी इसी प्रकार का अधिकार प्राप्त है ।

43. तथापि अधिकार का दुरुपयोग किया गया था तथा इसका अनुचित लाभ उठाया गया था । इसका प्रयोग सरकारों को अस्थिर बनाने तथा मनमाने और अनैतिक सिद्धांतों पर सरकारों का गठन करने के लिए किया गया था।

44. अत: दल बदल के खतरे को रोकने के लिए वर्तमान कानून बनाया गया ।

45. इससे विधायकों के दायित्वों तथा अधिकारों की रचना होती है ।

46. यह विधायक को व्यादेश देता है कि उसे दल द्वारा जारी किए गए विहप के अनुसार मतदान करना है उसे अपना दल नहीं छोड़ना है किसी नए दल का गठन नहीं करना है और न ही किसी दल में शामिल होना है । यदि वह इन दायित्वों की अवहेलना करता है तो उसे विधान मंडल का सदस्य होने से अनर्ह घोषित किया जा सकता है और वह विधान मंडल की अपनी सदस्यता खो सकता है ।

47. ये दायित्व अपने आप में पूर्ण नहीं है । वही कानून इनमें कुछ रियायत भी देता है जिनसे इन दायित्वों की रचना होती है। यदि विधान मंडल में उसके दल के एक-तिहाई उसके साथ मिलकर दल द्वारा जारी किए गए निर्देश के विपरीत मतदान करने की इच्छा रखते है तो वह उसे जारी किए गए विहप का उल्लंघन करते हुए अपनी इच्छानुसार मतदान कर सकता है । दल में विभाजन की स्थिति में विधान मंडल में अपने दल के एक-तिहाई सदस्यों के साथ वह दल से अलग हो सकता है और नए दल का गठन कर सकता है । और उसे अनर्ह भी घोषित नहीं किया जा सकेगा । वह विधान मंडल में अपने दल के दो-तिहाई सदस्यों के साथ किसी भी अन्य दल में शामिल हो सकता है और उस पर अनर्हता का कोई प्रावधान लागू नहीं होगा । ये अधिकार उसे इसलिए दिए गए हैं क्योंकि दसवीं अनुसूची के अस्तित्व में आने से पहले ये उसे उपलब्ध थे और क्योंकि इस प्रकार के अधिकार प्रजातांत्रिक एवं संसदीय प्रणाली में आवश्यक है, क्योंकि भारत के संविधान के भाग–iii के अंतर्गत भारत के नागरिकों को ऐसे अधिकार प्राप्त हैं और इसलिए भी कि ऐसे अधिकार अन्य देशों की संसदों एवं विधान मंडलों में विधायकों को उपलब्ध है।

48. अत: दसवीं अनुसूची के प्रावधानों का निर्वचन अत्यन्त सतर्कता-पूर्ण एवं कड़ाई से करना होगा ।

49. यह व्याख्या बहुत ही व्यापक गतिविधियों एवं अनेक संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रभावित कर सकती है । जो कानून नागरिकों, तथा व्यक्तियों के एक वर्ग और इसी प्रकार चुने गए जन प्रतिनिधियों के लिए अधिकारों एवं दायित्वों की रचना करता है । उसका निर्वचन भी बहुत ही सावधानीपूर्वक तथा कड़ाई से करना होगा ।

50. जो प्रावधान दसवीं अनुसूची में नहीं है उसे इसमें शामिल नहीं किया जा सकता ।

51. दल के संविधान के उपबंधों का दसवीं अनुसूची में वाचन और पुर: स्थापन नहीं किया जा सकता ।

52. दसवीं अनुसूची के कुछ उपबंधों की व्याख्या इसी के अन्य उपबंधों को निष्फल करने के लिए नहीं की जा सकती ।

53. दसवीं अनुसूची के उपबंधों का आभासी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए ।

निष्कासन

54. याचिकादाताओं का दृष्टिकोण यह था कि राजनीतिक दल का नेता दल के सदस्यों को प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर सकता था और यदि ऐसा किया जाता तो सदस्य विधायिका में भी अपने दल की सदस्यता खो देते ।

55. उनका तर्क है कि दल के संविधान के उपबंधों के अधीन यह निष्कासन किया जा सकता था ।

56. उन्होंने स्वीकार किया है कि दसवीं अनुसूची में ऐसा कोई उपबंध अथवा कोई अन्य कानून अथवा ऐसे नियम नहीं है जिसके अधीन वे सदस्यों को निष्कासित कर सकें ।

57. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निष्कासित सदस्य, जो विधान मंडल में दल के एक-तिहाई सदस्यों के समर्थन एक ग्रुप बनाने के लिए मूल दल से अलग होना चाहते है ऐसा ग्रुप नहीं बना सकते ।

58. उन्होंने कहा कि अध्यक्ष को निष्कासन के विषय पर विचार करने का कोई प्राधिकार नहीं है । वह यह सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं कर सकते कि क्या दल के संविधान में सदस्यों के निष्कासन के लिये दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है अथवा नहीं । किन्तु उनके ही निर्णयों के अनुसार अध्यक्ष से यह अपेक्षा तो की ही जाती है कि वह उस सदस्य-समूह में जिसे मूल दल से विधान मंडल में उस दल के कुल सदस्यों की एक-तिहाई संख्या में अलग होने का अधिकार प्राप्त है कुछ सदस्यों को न गिने ।

59. उनका यह मत था कि यदि ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई तो वे अपने दल को संगठित तथा अपने सदस्यों को अनुशासित नहीं रख सकेंगे ।

60. उनका विचार था कि दल के सदस्यों तथा समग्र रूप से उनके दल के बीच एक संविदागत दायित्व है तथा इस विषय पर न्यायालय अथवा अध्यक्ष द्वारा अधिनिर्णय नहीं किया जा सकता ।

61. उनका यह तर्क था कि किसी दल तथा उस दल के सदस्यों के बीच का संबंध उसी प्रकार का है जैसा कि किसी क्लब तथा उस क्लब के सदस्यों के बीच होता है ।

62. याचिकादाताओं ने इस मुद्दे पर उपर्युक्त ढंग से जो विचार व्यक्त किए हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

63. इस संदर्भ में पैरा 2(1) का स्पष्टीकरण (क) संगत है:

"(क) सदन के किसी निर्वाचित सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का यदि कोई ही सदस्य है जिससे इसे ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़ा किया था;

सदस्य को यह संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है जिसे उसके निष्कासन के बाद भी नहीं छीना जा सकता ।

64. विधान मंडल का कोई सदस्य सदन में केवल इस आधार पर ही नहीं आ जाता है कि उसके दल ने उसे चुनाव के लिए टिकट दे दिया बल्कि इस कारण से भी आता है कि मतदाताओं ने उसे चुना है वह केवल अपने दल के प्रति ही उत्तरदायी नहीं है वरन् मतदाताओं के प्रति भी उत्तरदायी होता है ।

65. यदि यह किसी प्रकार का अनुबंध है तो यह अनुबंध दो दलों के बीच नहीं है वरन् यह त्रिपक्षीय अनुबंध है । यह अनुबंध सदस्य उसके दल और मतदाताओं के बीच होता है । मतदाताओं के प्रति उसका दायित्व, दल के प्रति उसके दायित्व से कहीं अधिक होता है ।

66. अपने दल का सदस्य होने के नाते उसके अधिकार और दायित्व उसके दल के संविधान से जुड़े उद्भूत होते है । अतः दलगत मामलों के प्रयोजनार्थ वह दल के संविधान से बंधा होता है ।

67. विधान मंडल के सदस्य के रूप में उसके अधिकार और दायित्व भारत के संविधान और अन्य संगत विधियों/नियमों से उत्पन्न होते है । अपने संसदीय अधिकारों और कर्त्तव्यों के लिए वह भारत के संविधान, दसवीं अनुसूची और अन्य संगत नियमों से बंधा होता है । उसके दल के संविधान को दसवीं अनुसूची अथवा भारत के संविधान के अन्य भागों अथवा संविधियों और विधानमंडल द्वारा बनाए गए प्रक्रिया नियमों से ऊपर नहीं माना जा सकता ।

68. विधान मंडल का सदस्य होने के नाते भारत के संविधान और अन्य संगत विधियों के अंतर्गत उसे प्राप्त अधिकारों और कर्त्तव्यों में उसे दल का संविधान न तो वृद्धि कर सकता है और न ही कटौती ।

69. दसवीं अनुसूची दल-बदल को रोकने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाई गई है । जिसका सीधा सम्बन्ध सदस्य की सांसद के रूप में किए गए कार्यों तथा भूल-चूक एवं विधान मंडल में किए गए कार्यों से है न कि विधान मंडल से बाहर की उसकी ऐसी दलगत गतिविधियों से, जो संसदीय गतिविधियों से सम्बद्ध नहीं है ।

70. विभिन्न दल के नेताओं को अपने दलों को व्यवस्थित करने एवं अपने सदस्यों को अनुशासित करने में मदद करने का अध्यक्ष को न तो अधिकार प्राप्त है और न ही ऐसा करना उसका कर्त्तव्य बनता है ।

71. कोई विधायक अपने दल के एक सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सकता है । वह एक विधायक के रूप में अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सकता है । दसवीं अनुसूची तब लागू होती है जब वह विधायक के रूप में अपने कर्त्तव्य पूरे करता है या अधिकारों का इस्तेमाल करता है । दल के एक सदस्य के रूप में उसके द्वारा किए गए कर्त्तव्यों अथवा अधिकारों पर यह लागू नहीं होती है ।

72. दल का नेता अपने दल से सदस्य को निष्कासित कर सकता है तथा उसे दल-गत सुविधाओं से भी वंचित कर सकता है । वह चाहे तो अगले चुनाव में उसे टिकट देने से मना कर सकता है । वह सदस्य को दल में कोई पद धारण करने से भी वंचित कर सकता है । दल का नेता सदस्य को दल की बैठकों में भाग लेने से भी मना कर सकता है । दल का नेता उसे दल के सदस्य के रूप में दल की समितियों अथवा संस्थाओं का सदस्य बनने से भी रोक सकता है ।

73. परन्तु, दल का नेता विधायक को ऐसे अधिकारों और सुविधाओं से वंचित नहीं कर सकता जो उसे निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते और भारत के संविधान तथा उसकी दसवीं अनुसूची तथा अन्य संगत नियमों और विनियमों के अंतर्गत प्राप्त हैं ।

74. दल के संविधान के प्रावधानों को भारत के संविधान और उसकी दसवीं अनुसूची के प्रावधानों और उसके अंग के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता ।

75. भारत का संविधान अथवा दसवीं अनुसूची का निर्वाचन दलों के हित में और उनके संविधान के अनुकूल नहीं किया जाना चाहिए ।

76. अध्यक्ष दल के संविधान से बाधित नहीं होता है । उसे तो भारत के संविधान उसकी दसवीं अनुसूची तथा अन्य संगत नियमों और विनियमों के अनुसार अपने कर्त्तव्यों का वहन करना होता है ।

77. लोक सभा में 23 दल हैं। उन सब का अपना अलग-अलग संविधान है । प्रत्येक दल अपने संविधान में जैसे चाहे संशोधन करवा सकता है । और इनमें संशोधन होते रहते है । यह पता लगाना संभव नहीं है कि क्या उनमें संशोधन इस प्रयोजनार्थ निर्धारित की गई प्रक्रियाओं के अनुसार किए गए हैं अथवा नहीं ।

78. अध्यक्ष द्वारा इनके पालन किए जाने अथवा इनसे बंधे हुए होने की अपेक्षा नहीं की जाती । यदि ऐसा किया जाता है तो यह बड़ी उलझनपूर्ण स्थिति होगी ।

79. अतः यह माना जा सकता है कि चूंकि किसी सदस्य के विधायिका के सदस्य के रूप में संसदीय कार्यकरण के प्रयोजन और उसके अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में और उसके दंडीय अधिकारों; कर्तव्यों और कार्यकरण के प्रयोजन से भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची, अथवा भारत के संविधान के किसी अन्य भाग में अथवा अन्य किसी संगत कानून में अथवा लोक सभा में अपनाए जाने वाले प्रक्रिया संबंधी नियमों में कोई प्रावधान नहीं है अतः भारत के संविधान और अन्य संगत कानूनों के अंतर्गत सदस्यताओं द्वारा किसी विधान मंडल के लिए निर्वाचित किसी सदस्य को निष्कासित नहीं किया जा सकता।

80. यह मानना सही और वैध नहीं है कि यदि किसी दल के किसी सदस्य को दल की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाय तो, उसकी विधान मंडलीय दल से प्राथमिक सदस्यता समाप्त हो जाती है।

81. यह मानना सही और विधि सम्मत नहीं है कि दल के नेता विधायकों को अपने दलीय संविधान के अन्तर्गत प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करके उनके कानून द्वारा प्रदत्त दायित्वों और अधिकारों को बदल सकते हैं।

82. विगत में, सदस्यों को विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निष्कासित किया गया है।

83. विधान मंडल के सदस्यों की दसवीं अनुसूची लागू करने के प्रयोजनार्थ केवल तभी निष्कासित किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए जबकि दसवीं अनुसूची में इस हेतु प्रावधान हो और अन्यथा नहीं।

84. चूंकि संविधान की दसवीं अनुसूची अथवा किसी अन्य भाग में कोई प्रावधान नहीं है अतः संसदीय प्रयोजन से सदस्यों का निष्कासन विधि सम्मत नहीं है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

85. याचिकाकर्ताओं ने कानूनी स्थिति को सही समझा और उन्होंने कानून की व्याख्या को स्वीकार किया है।

86. इसीलिए उन्होंने उन आठ सदस्यों, जिन्हें उनके दावे के अनुसार, निष्कासित किया गया और वे अपने विधान मंडलीय दलों के सदस्य नहीं थे जिनके विरुद्ध याचिकाएं दायर की हैं। ऐसा करके उन्होंने यह बात स्वीकार की है कि संसदीय प्रयोजनार्थ निर्वाचित विधायिका सदस्यों को उनके दलीय संविधान के अंतर्गत दल के नेताओं द्वारा निष्कासित नहीं किया जा सकता।

87. यद्यपि किंचित अस्पष्टता से, याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने दल के कथित रूप से निष्कासित सदस्यों के विरुद्ध दायर की गई अपनी याचिकाओं में इस स्थिति को सही माना गया है।

असम्बद्ध

88. विगत में, कतिपय मामलों में जब सदस्यों को निष्कासित किया गया था, तो उन्हें दल के सदस्यों के साथ साथ निर्वाचनीय सदस्यों से अलग दिखाने के लिए असम्बद्ध कहा जाता था।

89. "असम्बद्ध" शब्द का भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची अथवा किसी अन्य भाग अथवा किसी अन्य संगत कानून अथवा संसद में अपनाए जाने वाले प्रक्रिया संबंधी नियमों में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है।

90. किसी दल से सम्बद्ध सदस्य के भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत कतिपय अधिकार और दायित्व होते हैं।

91. इसी कानून के अंतर्गत एक निर्वाचनीय सदस्य के भी कतिपय अधिकार और दायित्व होते हैं।

92. लेकिन ऐसा लगता है कि एक असम्बद्ध सदस्य का कोई विशेष दर्जा अथवा स्थिति नहीं होती है।

93. इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है और बड़ी उलझी हुई है कि उसके क्या दायित्व हैं और उसे क्या अधिकार प्राप्त हैं।

94. अतः यह मानना सही है कि इस शब्द का कोई विशेष कानूनी अर्थ नहीं है और यह असम्बद्ध घोषित किए गए सदस्य के लिए कोई दायित्व अथवा अधिकार नहीं देता है।

(लिया गया निर्णय कब लागू होता है?)

95. (एक) क्या यह निर्णय लेने की तिथि से लागू होता है?

(दो) क्या यह दायर की गई याचिका से लागू होता है?

(तीन) अथवा यह उस तारीख से लागू होता है जिसको संचेतक का उल्लंघन होता है अथवा दल का विघटन होता है अथवा सदस्य अन्य दल में शामिल होते हैं?

96. सामान्य नियम यह है कि बनाए गये कानून भावी प्रभाव से लागू होते हैं।

97. यदि उन्हें भूतलक्षी रूप से प्रभावी बनाना हो तो उसका उपबंध विधि में स्पष्ट रूप से किया जाय।

98. जब विधियों की दो व्याख्याएं की जा सकती हों—एक उनको भविष्य में प्रभावी बनाने तथा दूसरी उनको भूतलक्षी रूप से प्रभावी बनाने के लिए तो जो पहली व्याख्या स्वीकार करनी होगी।

99. विधि की भूतलक्षी प्रभावी प्रकृति निर्दोष व्यक्तियों को हानि पहुंचा सकती है। अतः विधियों को भूतलक्षी रूप से प्रभावी बनाने अथवा उनकी इस प्रकार से व्याख्या करने कि वे भूतलक्षी रूप से प्रभावी बनें, से बचने का प्रयास करना चाहिए।

100. संविधान की दसवीं अनुसूची भविष्य-प्रभावी है, भूतलक्षी प्रभावी नहीं।

101. दसवीं अनुसूची में उपबंध ऐसे हैं कि उनको भूतलक्षी रूप से प्रभावी बनाने के लिए उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती अथवा उनके अन्तर्गत दिए गए निर्णयों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता।

102. इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि अध्यक्ष को उस उद्देश्य के लिए याचिका दी जाती है तो अध्यक्ष एक सदस्य को निर्हर घोषित कर सकता है। किसी सदस्य द्वारा उनके समक्ष ऐसी कोई याचिका प्रस्तुत किए बिना वे इस संबंध में घोषणा नहीं कर सकते।

103. दल के नेता द्वारा गलती करने वाले सदस्य को इस संदर्भ में एक सूचना देना अपेक्षित है कि क्यों न उसके विरुद्ध एक याचिका प्रस्तुत की जाय।

104. यदि एक सदस्य अपने नेता को संतोषजनक उत्तर देता है तो वह उसकी गलती को माफ कर सकता है तथा इस मामले में गलती करने वाले सदस्य के विरुद्ध कोई याचिका नहीं दी जा सकेगी।

105. यदि किसी सदस्य को निर्हर किया जा सकता है तथा यदि वह ऐसे सदस्यों के दल में शामिल हो जाता है जो उस सदस्य के निर्हर किए जा सकने के तथ्य की परवाह नहीं करता है तथा अन्य सदस्य इस विश्वास से अपने मूल दल से अलग होने के लिए कदम उठाते हैं कि उनके ग्रुप में आवश्यक सदस्य हैं तथा बाद में उक्त सदस्य अपनी सदस्यता खो देता है तथा यदि दिए गए निर्णय को भूतलक्षी रूप से प्रभावी बनाया जाता है, तो अन्य सदस्यों के प्रति अन्याय होगा। इस प्रकार की स्थिति को टाले जाने की अपेक्षा की जाती है।

106. इन कारणों से यह ठीक ही कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची भूतलक्षी प्रभाव की नहीं है तथा इसके उपबंधों के अन्तर्गत दिए गए निर्णयों को भूतलक्षी रूप से प्रभावी बनाने की आवश्यकता नहीं है।

107. 11-8-1992 को श्री राम सुन्दर दास तथा तीन अन्यों के विरुद्ध दी गई अपनी याचिकाओं में, याचिकादाताओं ने प्रार्थना की थी कि प्रतिवादियों को निर्हर घोषित किया जाये तथा लोक सभा से उनकी सदस्यता 17-7-1992 से अर्थात उस तिथि से जब उन्होंने सचेतक के आदेशों का उल्लंघन किया था, से समाप्त हो गई है ।

108. याचिकादाता निर्णय को भूतलक्षी रूप से लागू करवाना चाहते हैं ।

109. अन्य याचिकाओं में भी यही निवेदन किया गया है ।

110. दसवी अनुसूची के अन्तर्गत सभी निर्णय, निर्णय दिए जाने की तिथि से लागू होंगे, भूतलक्षी प्रभाव से नहीं ।

क्या अध्यक्ष को संसद से बाहर पार्टी गतिविधियों तथा उसके नेताओं के निर्णयों के संबंध में कोई अधिकार प्राप्त है ?

111. दसवीं अनुसूची विधायकों द्वारा दल-बदल को नियंत्रित करने तथा रोकने के लिए है ।

112 यह विधायकों की संसदीय गतिविधियों पर लागू होती है ।

113. यदि कोई विधायक उसको जारी की गई सचेतक के आदेश का उल्लंघन करता है और स्वेच्छा से पार्टी छोड़ता है, यदि वह कोई नई पार्टी बनाता है अथवा यदि वह किसी अन्य पार्टी में शामिल होता है, तो उसे दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत दण्डित किया जाता है, उसे अपने विधान मण्डल की सदस्यता के लिए निर्हर घोषित किया जाता है।

114. उसको दण्डित करने के लिए अध्यक्ष, यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत विवरण की जांच कर सकता है कि क्या सचेतक के आदेश का स्वेच्छा से उल्लंघन किया गया था, क्या सदस्य ने अपना दल छोड़ दिया अथवा वह अन्य दल में शामिल हो गया है, आदि ।

115. यदि किसी सदस्य को जारी किये गये सचेतक का वह संसद में अपने दल के एक-तिहाई सदस्यों के साथ अनुपालन नहीं करता अथवा वह अपने संसदीय दल के एक-तिहाई सदस्यों के साथ दल छोड़ता है अथवा वह संसद में अपने दल के दो-तिहाई सदस्यों के साथ दूसरे दल में शामिल होता है तो दसवीं अनुसूची के पैरा 3 और 4 के अंतर्गत उसे दण्डित नहीं किया जायेगा और विधान मण्डल में उसकी सदस्यता निर्हर घोषित नहीं की जायेगी ।

116. अध्यक्ष यह निर्णय कर सकता है कि क्या ग्रुप में विधान मण्डल में विधायक के दल के एक-तिहाई अथवा दो-तिहाई सदस्य हैं और वह यह घोषणा कर सकता है कि उसे निर्हर किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है ।

117. उसे यह निर्णय करना होता है कि क्या दल ने व्हिप जारी किया है और क्या इसका स्वैच्छिक रूप से उल्लंघन किया गया है ।

118. उसे यह निर्णय करना होता है कि क्या राजनैतिक दल का विभाजन विधान मंडल से बाहर हुआ है ।

119. वह यह निर्णय नहीं कर सकता है कि क्या मूल दल का दावा पेश करने वाले राजनैतिक दल को बहुमत का समर्थन प्राप्त है अथवा नहीं ।]

120. ऐसा निर्धारण आयोग द्वारा किया जा सकता है ।

121. उसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह संसद के बाहर एक गुट अथवा दूसरे गुट में जाने वाले सदस्यों की गिनती करे ।

122. उसके लिये यह पता लगाना आवश्यक नहीं है कि संसद के बाहर कितने संसद सदस्य एक गुट में हैं अथवा कितने दूसरे में ?

123. वह संसद में दल में विभाजन के तथ्य का संज्ञान कर सकता है ।

124. लेकिन वह यह कार्य तभी कर सकता है जब यह बात संसद में किसी सदस्य द्वारा याचिका के माध्यम से उसके ध्यान में लाई गई हो । दी गई है ।

125. इन मामलों में, वह स्वतः कार्य नहीं करता । दल के नेता को संसद में अपने दल के सदस्यों के कार्यों के लिए क्षमा करने की अनुमति दी गई है ।

126. अध्यक्ष को यह पता लगाना पड़ता है कि क्या मूल संसदीय पार्टी से अलग होने वाले ग्रुप में संसद में दल के एक-तिहाई सदस्य हैं अथवा नहीं ।

127. उसे यह पता लगाना पड़ता है कि किसी भी अन्य संसदीय दल में शामिल होने वाले ग्रुप में संसद में उसके दल के दो-तिहाई सदस्य हैं अथवा नहीं।

128. उसके लिए यह पता लगाना आवश्यक नहीं है कि संसद से बाहर विभाजित होने वाले राजनैतिक दल में संसद में दल के एक-तिहाई सदस्य हैं अथवा नहीं ।

129. उसके लिये यह पता लगाना कठिन है कि किन वैचारिक मत-भेदों के कारण दल विभाजित हुआ है ।

130. दसवीं अनुसूची कार्यान्वित करने के लिए विभाजन का तथ्य उसके लिए अधिक संगत है ।

131. अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार संसद में सांसदों की गतिविधियों के संबंध में अधिक मुखर हैं ।

132. संसद के बाहर सांसदों की कार्यवाहियों के संबंध में यह प्रभावी नहीं है ।

133. दसवीं अनुसूची का मन्तव्य राजनीतिक दलों और उनके सदस्यों की गतिविधियों पर नियंत्रण करना मार्ग निर्देश करना और निर्देश देना तथा संसद से बाहर संसद सदस्यों की भूलों-चूकों के लिए उन्हें दण्डित करना नहीं है ।

134. अध्यक्ष से यह आशा नहीं की जाती है कि वह राजनीतिक दलों को कमजोर अथवा मजबूत रखने में अथवा संसद सदस्यों को अपने दल के उद्देश्यों के लिए अनुशासित रखने में हस्तक्षेप करे ।

135. संसद से बाहर संसद सदस्यों से संबंधित दलगत मामलों में अन्य मंचों को क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं जिनकी अध्यक्षता अन्य प्राधिकारी करते हैं, न कि अध्यक्ष ।

कारण जिन पर निर्णय आधारित हैं

दस्तावेज—डी-1

दस्तावेज "डी-1"

136. दिनांक 7-8-1992 को लोक सभा के 20 सदस्यों द्वारा भेजे गए आवेदन में सदन में उनके बैठने के लिए अलग स्थानों की मांग को भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत भेजा गया आवेदन नहीं माना जा सकता ।

137. इसे अधिक से अधिक साक्ष्य माना जा सकता है जिसे दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दायर याचिकाओं में प्रयोग में लाया जा सकता था ।

138. वास्तव में अपेक्षित संख्या में सदस्यों द्वारा संसद के बाहर और संसद के अंदर किसी राजनैतिक दल के विभाजन को अध्यक्ष से यह उद्घोषणा प्राप्त करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता कि दल का विभाजन उचित और वैध है ।

139. दल को विभाजित करने वाले सदस्यों के विरुद्ध दायर याचिका में इसी तथ्य को यह दिखाने के लिए बचाव के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है कि उक्त संसदीय दल से पृथक होने वाले समूह में दल के एक-तिहाई सदस्य हैं ।

140. लोक सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 4 के अंतर्गत ऐसे आवेदन पर विचार किया जा सकता है जो इस प्रकार है :

"4. सदस्य ऐसे क्रम में बैठेंगे जोकि अध्यक्ष निर्धारित करें।"

141. जिस दिन अर्थात् 7–8–1992 को आवेदन पत्र दिया गया था, दस्तावेज के सभी हस्ताक्षरकर्ता उस दिन जनता दल संसदीय दल के निर्वाचित सदस्य थे ।

142. यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि श्री अजित सिंह तथा तीन अन्य सांसदों और चार अन्य सांसदों को भी पार्टी अध्यक्ष द्वारा दल की प्राथमिक सदस्यता से आवेदन पत्र देने अर्थात् 7–8–1992 से पूर्व निष्कासित कर दिया गया था, ये संसद में जनता दल के संसदीय दल के सदस्य नहीं थे और वे जनता दल के संसदीय दल से अलग हो रहे दल के वैध सदस्य नहीं थे ।

143. संविधान की दसवीं अनुसूची के उपबंधों को निरस्त करने के लिए सांसदों को उनके दल के नेताओं द्वारा संसदीय दल की सदस्यता समाप्त करने के लिए उनकी दल की प्राथमिक सदस्यता वैधानिक और वैध रूप से समाप्ति की जा सकती है ।

144. विधान में ऐसे उपबंध नहीं हैं जो संसद सदस्यों के उस प्रकार के निष्कासन की अनुमति देते हों ।

145. दल के संविधान के अंतर्गत संसदीय दल की सदस्यता समाप्त करने के लिए दल की उनकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर देना वैध और स्वीकार्य नहीं है ।

146. यदि ऐसा करने दिया जाये तो दसवीं अनुसूची के उपबंधों का प्रयोजन ही समाप्त हो जाएगा । ऐसा किसी दल के संविधान से, जो कभी भी बदला जा सकता है, कुछ बातें देश के मौलिक कानून में शामिल करने के समान होगा।

147. निर्णय के अन्य भागों में दिये गए कारणों से यह निर्णय दिया जाता है कि सर्वश्री अजित सिंह, रशीद मसूद, हरपाल पंवार, सत्यपाल सिंह यादव, राजनाथ सोनकर शास्त्री, रामनिहोर राय, राम अवध और शिव शरण वर्मा संगत तारीख अर्थात् 7–8–1992 को जनता दल के संसद सदस्य थे ।

148. उक्त तारीख को अर्थात् 7–8–1992 को यह घोषणा करने के लिए वे अर्हता प्राप्त नहीं थे और उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी, उनके विरुद्ध याचिकाएं दायर नहीं की गई थीं ।

149. विरोधी पक्ष द्वारा दिये गये आवेदन पत्र के लिखित में उत्तर यह बताया गया है कि श्री राम सुन्दर दास और तीन अन्य सांसदों ने सरकार के विरुद्ध रखे गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत देने के लिए उन्हें दिये गए निर्देशों का उल्लंघन किया इसलिए इन चारों सांसदों को 17–7–1992 से लोक सभा की सदस्यता के लिए निर्हर पाया गया । अतः वैध रूप से ग्रुप का दर्जा दिलाने के लिए इन सदस्यों की संख्या को उसमें नहीं जोड़ा जा सकता ।

150. 7–8–1992 को कोई याचिका नहीं दी गई थी और न ही कोई ऐसी याचिका उनके विरुद्ध लंबित थी जिसमें यह शिकायत की गई हो कि उन्होंने सचेतक के आदेशों का उल्लंघन किया है वे उन्हें लोक सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाये ।

151. 7–8–1992 को वे लोक सभा के वर्तमान वैध सदस्य थे और वे जनता दल में शामिल थे ।

152. निर्णय के अन्य भागों में यह माना गया कि इन मामलों में दिये गये निर्णयों को पूर्वप्रभावी या भूतलक्षी स्वरूप का नहीं माना जा सकता ।

153. अतः यह माना जा सकता है कि वे उस दल के वैधानिक रूप से सदस्य हो सकते हैं जो कि मूल दल से अलग होने की मांग कर रहे हैं ।

154. 22–8–1992 को अयोग्य घोषित किये जाने हेतु सर्वश्री श्री राम शरण यादव, अभय प्रताप सिंह, रामलखन सिंह यादव, अनादि चरणदास, रोशनलाल, अर्जुन सिंह यादव, उपेन्द्रनाथ वर्मा तथा सूर्य नारायण यादव के विरुद्ध याचिका दी गई थी।

155. तथापि, संबंधित तिथि अर्थात् 7–8–1992 को उनके विरुद्ध कोई याचिका दायर नहीं थी ।

156. संबंधित तिथि को वे जनता दल के संसदीय दल के मौजूदा सदस्य थे ।

157. संबंधित तिथि अर्थात् 7–8–1992 को आवेदन पर सभी हस्ताक्षरकर्ता संसद में जनता दल के वर्तमान सदस्य थे ।

158. उनकी संख्या 20 के बराबर थी जो कि संबंधित तिथि को लोक सभा में जनता दल के कुल 59 सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अधिक है ।

159. इस प्रकार आवेदन पत्र पर हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह आशय व्यक्त कर दिया था कि संसद के बाहर जनता दल का विभाजन हुआ है ।

160. इस प्रकार आवेदन पत्र से यह पता चलता है कि लोक सभा में जनता दल के संसदीय दल का विभाजन हुआ है ।

161. तथापि इस निश्चित घोषणा के प्रभावों को शिथिल तथा कुछ सुबोध बना दिया गया था सभी तथ्यों तथा दोनों दलों के बाद में तर्कों के बाद जो निश्चित घोषणाएं की थीं वे इस बात को इंगित करती हैं कि जनता दल का बाहर तथा संसद के भीतर विभाजन हो गया है जो कि क्रमशः पहले तथा संबंधित तिथि को हुआ था ।

162. अतः उनके इस अनुरोध के आवेदन पत्र को कि उन्हें अलग से बैठने दिया जाए, अनुमति दी जाती है तथा दी गई ।

श्री राम सुन्दर दास और तीन अन्य के विरुद्ध व्हिपों के उल्लंघन से सम्बन्धित याचिकाएं

श्री राम सुन्दर दास के विरुद्ध याचिका

163. याचिकादाता द्वारा याचिका में दिये गये अधिकांश प्रकथनों का खण्डन नहीं किया गया है और वे प्रत्यर्थी द्वारा स्वीकार किये गये हैं ।

164. प्रत्यर्थी द्वारा मतदान से प्रविरत रहने के मामले पर ही केवल भिन्न दृष्टिकोण अपनाया गया है ।

165. याचिकादाता का प्रकथन है कि प्रत्यर्थी ने जान बूझकर व्हिप का उल्लंघन किया है। प्रत्यर्थी जोर देकर कह रहा है कि वह मतदान से जानबूझ प्रविरत नहीं हुआ।

166. प्रत्यर्थी का कहना है कि 17–7–1992 को उसकी तबीयत ठीक नही थी और उसका ब्लड प्रैशर घट-बढ़ रहा था और दोपहर बाद वह लायब्रेरी में आराम कर रहा था ।

167. उसके अनुसार जब मतदान के लिए घंटी बजी तो उसने लोक सभा चैम्बर में जल्दी-जल्दी आने की कोशिश की किन्तु अस्वस्थता तथा टांग में चोट के कारण वह दरवाजा बंद होने से पहले वहां नहीं पहुंच सका और इस प्रकार वह सदन में प्रवेश नहीं पा सका तथा पूरी तरह से चाहते हुए भी अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मत नहीं दे सका ।

168. प्रत्यर्थी ने अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए ही स्वयं की परीक्षा की ।

169. उसने अपने दृष्टिकोण से सम्बन्धित किसी भी अन्य बात पर किसी प्रकार का कोई अन्य साक्ष्य दर्ज नहीं कराया ।

170. लाइब्रेरी और लोक सभा चैम्बर के बीच का रास्ता धीरे-धीरे चलने वाला व्यक्ति भी बड़ी आसानी से पूरा कर सकता है बशर्ते कि सम्बन्धित व्यक्ति जान बूझकर बहुत धीमा चलना आरम्भ न कर दे या केन्द्रीय कक्ष में बैठे लोगो से या रास्ते में मिलने वाले लोगों से बातचीत में व्यस्त होकर रास्ता पार करने की परवाह ही न करे ।

171. लाइब्रेरी में जिस ढंग से आराम किया जा सकता था वैसा आराम प्रत्यर्थी लोक सभा में कर सकता था क्योंकि लाइब्रेरी आराम करने की जगह नहीं है और वस्तुतः वहां सही ढंग से आराम करने की सुविधाएं भी नहीं हैं ।

172. प्रत्यर्थी को उस आकस्मिकता को समझ लेना चाहिए था जिसमें वह अब स्वयं को पा रहा है और उसे प्रस्ताव पर मतदान के लिए सदन में रहना चाहिए था ।

173. उसके द्वारा दिया गया तर्क विश्वासजनक और स्वीकार्य नहीं है ।

174. अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्रत्यर्थी का मतदान से प्रविरत रहना अस्वैच्छिक नही था ।

175. प्रत्यर्थी भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) के प्रावधानों के अनुरूप अनर्हता का दायी हो गया है और इसलिए निर्णय की तारीख से लोक सभा का सदस्य नही रहा ।

श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा के विरुद्ध याचिका

176. इस याचिका में एक मात्र विवादग्रस्त बात भी 17–7–1992 को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर प्रत्यर्थी द्वारा मतदान से प्रविरत रहने से संबंधित है ।

177. प्रत्यर्थी के अनुसार, वह प्रस्ताव पर मत देना चाहता था तथा उक्त तिथि को सवेरे संसद भवन में था ।

178. सायंकाल में उसने सर्विकल स्पोन्डिलाइटिस तथा कुछ अन्य कारणों से अपने आपको अस्वस्थ महसूस किया, इसलिए दवा लेने तथा आराम करने के लिए अपने घर चला गया ।

179. अपने घर पर उसने कोई जड़ी बूटी वाली दवा ली जिससे वह बेहोश हो गया, इसलिए वह संसद भवन जाकर प्रस्ताव पर मत नहीं दे सका ।

180. उसका कहना है कि उसने पार्टी के नेता को यह सूचित भी कर दिया था कि यदि उसके लिए सभा में उपस्थित रहना आवश्यक हो, तो उसे डाक्टर की सहमति से एम्बुलेंस में लोक सभा ले जाया जा सकता है। लेकिन उस बारे में कुछ नही किया गया ।

181. प्रत्यर्थी ने अपने दृष्टिकोण के समर्थन में अपनी तथा अन्य साक्षियों की परीक्षा की । याचिकादाता के वकील द्वारा उनकी प्रतिपरीक्षा की गई ।

182. उसने अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए कुछ दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत किया।

183. प्रत्यर्थी का दृटिकोण विश्वासजनक तथा स्वीकार्य नहीं है ।

184. उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य विरोधात्मक है तथा स्वीकार्य नहीं है ।

185. उसके साक्षी द्वारा दिया गया साक्ष्य भी विश्वास-जनक तथा स्वीकार्य नहीं है ।

186. उसके दस्तावेजी तथा मौलिक साक्ष्य में विरोधा-भास है ।

187. उसके द्वारा तथा उसके साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य में विरोधाभास है ।

188. जिस रुग्णता से वह पीड़ित थे, वह ऐसी नहीं थी कि वह मत देने के लिए लोकसभा के चैम्बर में न ज

।

189. यदि वह वास्तव में मत देना चाहते थे तो वह ठीक मतदान के समय लोक सभा में आ सकते थे और उसके बाद आराम के लिए अपने घर या चिकित्सीय सहायता के लिए डाक्टर के पास जा सकते थे ।

190. उसका यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि उसने अपने दल के नेता से कहा था कि यदि सभा में उसकी उपस्थिति अत्यावश्यक हो तो डाक्टर की अनुमति से उसे किसी वाहन में सभा में ले जाया जाये । वह अपने नेता से यह न कहकर कि वह उसे वहां ले जाये, स्वयं लोक सभा के चैम्बर में जा सकते थे । उसके द्वारा अपने नेता से यह कहना कि उसे सभा में ले जाये, अपनी गलती की जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति पर डालने का प्रयास प्रतीत होता है ।

191. सभा के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में वह सभा में उपस्थित रहकर मत दे सकते थे ।

192. यह तथ्य कि वह उससे अगले ही दिन उड़ीसा अपने गांव चले गए, इस बात को प्रकट करता है कि वह सम्बद्ध तिथि को बहुत खराब हालत में नहीं थे ।

193. यह तर्क कि उसने आवश्यकता पड़ने पर अपने पार्टी के नेता से उसे सभा में ले जाने के लिए कह दिया था, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपनी अनुपस्थिति से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए किसी दूसरे सदस्य से परामर्श करके गढ़ा ।

194. साक्षी के तौर तरीके से लगता है कि वे बनावटी ध्यान दे रहे थे ।

195. अविश्वासजनक अभिवाकों, दिए गए साक्ष्य तथा तर्कों को देखते हुए यह कहना कठिन है कि प्रत्यर्थी ने अपने वश से बाहर की परिस्थितियों के कारण अस्वेच्छा से मत नहीं दिया ।

196. अतः यह निर्णय दिया जाता है कि वह स्वेच्छा से मतदान से प्रवरित रहे तथा वह इस निर्णय की तारीख से लोक सभा के सदस्य बने रहने के लिए निरर्ह होने के दायी हो गए हैं ।

श्री गुलाम मोहम्मद खां के विरुद्ध याचिका

197. इस याचिका में भी विवाद का मुद्दा अन्य तीन मामलों में विवाद के मुद्दे के समरूप है ।

198. प्रत्यर्थी का अभिवचन है कि 17–7–1992 को वह अस्वथ था तथा मधुमेह एवं अन्य व्याधियों से पीड़ित होने के कारण राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भरती था ।

199. उनका कहना है कि उन्होंने अपने दल के नेता को सूचित कर दिया था कि यदि उसकी उपस्थिति सदन में आवश्यक हो तो डाक्टर की सहमति से उन्हें वहां ले जाया जाना चाहिए ।

200. उनका कहना है कि वह प्रस्ताव पर मतदान करने के इच्छुक थे परन्तु परिस्थितियों के उसके नियंत्रण से बाहर होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सके ।

201. अपना दृष्टिकोण सिद्ध करने के लिए उन्होंने स्वयं की एवं अन्य दो साक्षियों की परीक्षा की । प्रत्यर्थी के वकील द्वारा उनकी एवं अन्य साक्षियों की प्रतिपरीक्षा की गई ।

202. अपने अभिवचन के समर्थन में उन्होंने कतिपय दस्तावेजों को प्रस्तुत किया ।

203. 17–7–1992 को वह अपने घर वापस आ गए । इस तथ्य से इस धारणा की पुष्टि होती है कि 17–7–1992 को उनका स्वास्थ्य बहुत खराब नहीं था ।

204. उनका यह दृष्टिकोण कि दल के नेता को डाक्टर की सहमति से उन्हें सदन में ले जाना चाहिए, अन्य याचिका के प्रत्यर्थी श्री गोविन्द चन्द्र मुरा के दृष्टिकोण के समान है ।

205. यह विश्वासजनक एवं स्वीकार्य नहीं है । जो कुछ वह अपने नेता से करने को कह रहे हैं, वह स्वयं भी कर सकते थे ।

206. यह अपने ऊपर से किसी अन्य पर जवाबदेही डालने के प्रयास का एक भाग प्रतीत होता है ।

207. सदन के एक जिम्मेदार सदस्य के नाते उन्हें मतदान के समय सदन में उपस्थित रहने का प्रयास करना चाहिए था ।

208. चूंकि वह नई दिल्ली में ही थे इसलिए सदन में मतदान संबंधी अपने दायित्वों का निर्वहन करना उनके लिए कठिन नहीं होना चाहिए था ।

209. उनके द्वारा दिया गया साक्ष्य विश्वासजनक नहीं है ।

210. अन्य साक्षियों द्वारा दिया गया साक्ष्य भी अधिक विश्वास पैदा नहीं करता । उनका व्यवहार गंभीर एवं विश्वासजनक प्रतीत नहीं होता ।

211. उनके मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य में कतिपय विरोधाभास हैं ।

212. उनके तथा उनके साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य में कतिपय विरोधाभास है ।

213. इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया यह अभिकथन कि मतदान से उनकी प्रविरति अस्वेच्छिक थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

214. अतएव, यह निर्णय लिया जाता है कि वह इस निर्णय की तारीख से संसद सदस्य के रूप में निरर्ह हो गए हैं ।

श्री राम सदन के विरुद्ध याचिका

215. प्रत्यर्थी का अभिकथन है कि 17–7–1992 को वह लोक सभा में उपस्थित था तथा उसने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान का बटन दबाया था परन्तु मशीन में खराबी के कारण उसका मत रिकार्ड नहीं हो सका ।

216. उनका कहना है कि उन्होंने सदन में उपस्थित अटेंडेंट से पूछा था कि क्या बोर्ड पर उनका मत रिकार्ड हुआ है अथवा नहीं । उनके कथनानुसार, अटेन्डेंट ने उन्हें सूचित किया था कि उनका मत रिकार्ड हो गया है ।

217 उनका कहना है कि उनकी दृष्टि कमजोर है और इसलिए वे बोर्ड को देखकर ठीक प्रकार यह पता नहीं लगा पाये कि उनका मत वस्तुत रिकार्ड हुआ है अथवा नहीं ।

218 उनका अभिकथन है कि वह अपना मत देना चाहते थे परन्तु घटनावश वह अपना मत नहीं दे सके ।

219 अपने अभिकथन के समर्थन में उन्होंने स्वयं की परीक्षा की ।

220 उन्होंने अपने अभिकथन की सम्पुष्टि में सदन के अटेन्डेंट को अपने साक्षी के रूप में परीक्षा नहीं की ।

221 प्रत्यर्थी का अभिकथन विश्वासजनक तथा स्वीकार्य नहीं है ।

222. उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया साक्ष्य विश्वास-जनक नहीं है ।

223. और इसलिए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि मतदान में उनकी प्रविरति अस्वैच्छिक थी ।

224 अतएव यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्रत्यर्थी ने इस निर्णय की तारीख से लोक सभा का सदस्य होने की निरर्हता का दायित्व अपगत किया है ।

श्री रामशरण यादव तथा सात अन्य के विरुद्ध याचिका

आठ याचिकाएं

225. 22-8-1992 को श्री वी पी सिंह ने स्वर्श्री राम शरण यादव, अभय प्रताप सिंह, राम लखन सिंह, यादव अनादि चरण दास, रोशन लाल, अर्जुन सिंह यादव, उपेन्द्र नाथ वर्मा तथा सूर्य नारायण यादव, सभी लोक सभा के सदस्य, के विरुद्ध भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के अंतर्गत याचिकाएं दायर की ।

226 सभी याचिकाओं की विषय वस्तु एक जैसी है । इसलिए उन पर एक साथ विचार किया गया है ।

227. साररूप में याचिकादाता का दृष्टिकोण निम्नवत है

(एक) प्रत्यर्थी ने यह दावा नहीं किया कि जनता दल राजनीतिक पार्टी में 7-8-1992 से पूर्व विभाजन हुआ तथा यह कि वह किसी एक गुट से सम्बन्धित है ।

(दो) दसवीं अनुसूची के पैरा 3(क)(1) में संसद में दल के विभाजन से पूर्व राजनीतिक दल में विभाजन की संकल्पना की गई है, जो कि हुआ नहीं दिखाया गया है ।

(तीन) श्री अजित सिंह तथा सात अन्य सांसदों को संगत तारीख, अर्थात 7-8-1992 से पूर्व तीन तारीखों को दल की प्राथमिक सदस्यता से निलम्बित किया गया। अतएव अपने निलम्बन की तारीखों को वे संसद में जनता दल के सदस्य नहीं रह गए थे ।

(चार) श्री राम सुन्दरदास तथा तीन अन्य सांसदों ने 17-7-1992 को जारी किए गए व्हिप का उल्लंघन किया था । अतएव वे व्हिप का उल्लंघन करने की तारीख से लोक सभा की सदस्यता से निरर्हित होने के दायी हो गए थे।

(पांच) इस प्रकार प्रत्यर्थी संसद में जनता दल के 1/3 सदस्यों का समूह नहीं बना सके क्योंकि निलम्बित सदस्य तथा निरर्हित सदस्य 7-8-1992 को समूह का भाग नहीं बन सकते थे ।

(छह) इन कारणों से, प्रत्यर्थियों ने 7-8-1992 से लोक सभा के सदस्य होने की निरर्हता का दायित्व उपगत किया है ।

(सात) तीन समूह-एक निष्कासित सदस्यों का समूह, दूसरा उन सदस्यों का समूह, जिनकी व्हिप के उल्लंघन के कारण संसद की सदस्यता छिन गई तथा उन प्रत्यर्थियों का समूह, जो भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 3 (क)(1) के अन्तर्गत लाभ का दावा करने के लिए समूह बनाने के लिए इकट्ठे नहीं हो सके ।

(आठ) याचिकादाता के अनुसार, जिन सदस्यों को दल के अध्यक्ष द्वारा दल की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था, उनकी संसदीय दल की सदस्यता निष्कासन की तिथि से समाप्त हो गई ।

(नौ) भूतपूर्व अध्यक्ष ने उपरोक्त स्थिति को स्वीकार किया था उन्होंने निष्कासित सदस्यों को असम्बद्ध सदस्य माना था ।

(दस) जनता दल के अध्यक्ष ने संसद में अपने दल के सदस्यों को दल विरोधी गतिविधियों के कारण अलग अलग तारीखों को निष्कासित किया और निष्कासन की इन तारीखों में अनेक दिनों का अन्तराल है ।

(ग्यारह) अन्य सदस्य संसद में जनता दल के सदस्य बने रहे । वास्तव में कुछ ने दल के चुनावों में भी भाग लिया।

(बारह) प्रत्यर्थियों का कहना है कि जनता दल के अध्यक्ष द्वारा आठ सदस्यों को निष्कासित करने के पहले अथवा उसके बाद जनता दल राजनीतिक पार्टी का कोई विभाजन नहीं हुआ।

(तेरह) उनका कहना कि दसवीं अनुसूची के पैरा 3(क)(1) के अंतर्गत उन्मुक्ति का दावा करने के लिए राजनीतिक दल में विभाजन होना चाहिए और बाद में संसदीय दल में भी विभाजन होना चाहिए । दो विभाजनों के बिना सदस्य दसवीं अनुसूची के पैरा 3(क)(1) के अंतर्गत उन्मुक्ति का लाभ नहीं उठा सकते ।

(चौदह) उनका कहना है कि श्री अजित सिंह ने अदालत और निर्वाचन आयोग के समक्ष अपने अभिकथनों में राजनीतिक दल में विभाजन का दावा नहीं किया है उनका कहना था कि वह मूल जनता दल के अध्यक्ष थे।

(पन्द्रह) दल-बदल विरोधी कानून में व्यवस्था है कि एक राजनीतिक दल और एक विधान दल होगा ।

(सोलह) संसद के कुछ सदस्यों द्वारा राजनीतिक दल में विभाजन नहीं किया जा सकता । विभाजन बड़ी संख्या में दल के सदस्यों द्वारा ही हो सकता है ।

(सत्रह) अतः यह माना जा सकता कि जनता दल राजनीतिक पार्टी में कानून के अनुसार विभाजन हुआ ।

(अठारह) अध्यक्ष को 7-8-92 को संसद में अलग सीटें निर्धारित करने के लिए आवेदन करने में प्रत्यर्थियों का आचरण दल छोड़ने की कोटि में आता है जैसाकि भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(29) के अन्तर्गत अनुध्यात है ।

(उन्नीस) याचिकादाता ने प्रार्थना की है कि यह घोषित किया जाए कि प्रत्यर्थी निरर्हता के अध्यधीन हो गए हैं और वह 7-8-92 से लोक सभा के सदस्य नहीं रहे ।

228. प्रत्यर्थियों ने अपने लिखित कथन 31-8-92 को दायर किए ।

इसमें सारूप में यह कहा गया है कि —

(i) याचिकादाता द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर उन्होंने अन्य मामलों में वर्ण अभिकथनों में दिया है ।

(ii) प्रत्यर्थियों का दावा है कि वह मूल जनता दल के सदस्य हैं और उनका यह दावा अन्य मंचों पर सिद्ध होगा ।

(iii) उनका कहना है कि 7-8-1992 को संसदीय दल का विभाजन हुआ और जो दल अलग हुआ वह जनता दल संसदीय पार्टी के एक-तिहाई सदस्यों के बराबर हैं ।

229. इस मामले में याचिकादाताओं द्वारा किए गए दावे और अजित सिंह और श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री और तीन अन्य सांसदों के विरुद्ध दायर किए गए दावे और इन याचिकाओं में और अन्य याचिकाओं में प्रत्यर्थियों द्वारा किए गए दावे भ्रम में डालने वाले और परस्पर विरोधी हैं ।

230. दोनों पक्षों द्वारा किए गए दावे में विद्यमान अंतर्विरोध के बावजूद अभिकथनों, साक्ष्यों, और तर्कों के सारगर्भित होने के कारण जनता दल 7-8-1992 से पहले विभाजित हो गया। इन दोनों दलों ने न्यायालय तथा निर्वाचन आयोग के समक्ष भी जो निवेदन किए हैं वे भी पर्याप्त सारगर्भित हैं । इसलिए दसवीं अनुसूची के पैरा 3(क)(1) में जिन उन्मुक्ति के लिए उपबंध किया गया है उसके लिए प्रत्यर्थी दावा कर सकता है ।

231. यह पहले अभिनिर्धारित है कि जनता दल का अध्यक्ष संसदीय दल के श्री अजित सिंह तथा अन्य तीन सदस्यों को निष्कासित नहीं कर सकता और उनके अधिकारों और कर्तव्य को न्यून भी नहीं कर सकता । वे जनता दल के संसदीय दल के सदस्य बने रहेंगे ।

232. यह भी अभिनिर्धारित है कि 7-8-1992 को श्री राम सुन्दर दास तथा अन्य तीन सदस्य जनता-दल के संसदीय दल और लोक सभा के विधिमान्य सदस्य थे । अतः वे उस तारीख को जनता दल के संसदीय दल के पृथक ग्रुप का एक भाग गठित कर सकते थे ।

233. अतः यह अभिनिर्धारित करना कठिन नहीं है कि श्री अजित सिंह और सात अन्य सांसद, श्री राम सुन्दर दास और अन्य तीन सांसद तथा प्रत्यर्थी संसद में जनता दल के एक-तिहाई सदस्यों से युक्त ग्रुप को गठित कर सकते थे तथा जनता दल संसदीय दल के अन्य सदस्यों से पृथक हो सकते थे और इसके लिए उन्हें निरर्ह नहीं माना जा सकता ।

234. याचिकादाता का यह तर्क विधिमान्य, वैध और उचित नहीं है कि दल से निष्कासित सदस्यों की संसदीय दल की सदस्यता समाप्त हो गई है । इसे अनुचित मानने के कारणों के बारे में पूर्ववर्ती पैराओं में बताया गया है ।

235. विगत में "असम्बद्ध" शब्द के अर्थ को जिस रूप में स्वीकार किया गया है । उसके बारे में भी पूर्ववर्ती पैराओं में उल्लेख किया गया है । इस मामले में याचिकादाता द्वारा दिए गए सुझाव उचित और विधिमान्य नहीं है ।

226. इसीलिए यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) के संदर्भ में प्रत्यर्थी लोक सभा की सदस्यता के लिए निरर्ह साबित हुआ है ।

237. अतः इस याचिका को खारिज किया जाता है ।

श्री अजित सिंह तथा अन्य तीन के विरुद्ध नियम 2(1) (क) के अधीन याचिका I

श्री अजित सिंह तथा अन्य तीन के विरुद्ध याचिका

238. जनता दल संसदीय दल के मुख्य सचेतक श्री श्रीकांत जैना ने 3–10–1992 को भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के संदर्भ में सर्वश्री अजित सिंह, रशीद मसूद, हरपाल पंवार तथा सत्यपाल सिंह यादव के विरुद्ध संयुक्त याचिका फाइल की थी ।

239. यह याचिका जनता दल संसदीय दल के नेता श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा फाइल नहीं की गयी थी।

240. याचिकादाता इस बात को दुहराता है कि प्रत्यर्थी को दल के अध्यक्ष द्वारा जनता की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया था, अन्य चार सदस्यों को भी उनकी दल-विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित किया गया था, तथा अन्य चार इस आधार पर भी लोक सभा की सदस्यता के लिए निर्हं साबित होते है कि उन्होंने सचेतक के आदेशों का उल्लंघन किया है ।

241. याचिकादाता का कहना है कि 7–8–1992 को प्रत्यर्थियों और चार अन्य निष्कासित सदस्यों तथा अन्य चार सदस्यों, जो निरर्हणीय हो गये थे तथा अन्य आठ सदस्यों ने लोक सभा में अपने लिए पृथक स्थान की मांग करते हुए एक आवेदन किया।

242. उसका कहना है कि श्री अजित सिंह ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में दावा किया था कि 5–2–1992 को जनता दल का विभाजन हो गया था और उन्हें मूल जनता दल का अध्यक्ष बनाया गया था ।

243. याचिका का पैरा 7 बहुत ही प्रासंगिक है और उसका पाठ निम्नप्रकार है:

"कि किसी संसद सदस्य के उसकी अपनी पार्टी द्वारा निष्कासन से सभा में उसकी सदस्यता समाप्त नहीं हो जाती क्योंकि दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ग) का, जिसे मसौदा विधान में मूलरूप से शामिल किया गया था, संशोधन विधेयक में लोप कर दिया गया था । इसलिए याचिकादाता ने उसके विरुद्ध निष्कासन आदेश जारी किये जाने का तुरन्त बाद सभा से प्रत्यर्थियों की निरर्हता की मांग करते हुए उनके विरुद्ध याचिका दायर नहीं की।

244. याचिकादाता का कहना है कि 5–2–1992 को विभाजन के परिणाम स्वरूप बने धड़े में केवल चार सदस्य थे ।

245. उसके अनुसार, जनता दल संसदीय पार्टी के केवल तीन सदस्यों के साथ जनता दल के एक धड़े का अध्यक्ष बनने का उनका कृत्य अपनी पार्टी छोड़ने के बराबर था । चूंकि ये चार सदस्य संसद में जनता दल के सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई के बराबर नहीं थे, इससलिए वे 5–2–1992 से लोक सभा की सदस्यता से निरर्हणीय हो गये ।

246. याचिका के पैरा 13 का पाठ निम्न प्रकार है: "13 इसलिए प्रत्यर्थियों की उपर्युक्त स्वीकृति, जिसके परिणामस्वरूप वे निरर्हता के पात्र हो गये है, को देखते हुए इस मामले में प्रत्यर्थियों का निष्कासन विधिमान्य था अथवा नहीं, इस प्रश्न पर विचार नहीं किया जाए।

247. प्रार्थना की जाती है कि प्रत्यर्थियों को 5-2-1992 से लोक सभा के सदस्य बने रहने से निरर्ह घोषित किया जाए ।

248. इस याचिका में याचिकादाता का दृष्टिकोण अन्य याचिकाओं में श्री वी.पी. सिंह के दृष्टिकोण से बिलकुल भिन्न है ।

249. याचिकादाता प्रत्यर्थियों को अपनी याचिका दायर करने की तारीख अर्थात 3–10–1992 को भी अपनी संसदीय पार्टी के सदस्य के रूप में मानता है और उस दृष्टिकोण का वे परित्याग कर देता है जिसके अन्तर्गत उसकी पार्टी प्रत्यर्थियों तथा उसकी संसदीय पार्टी के चार अन्य सदस्यों को संसद में असंबद्ध तथा उसकी पार्टी का न होने के रूप में मानती थी।

250. यह दृष्टिकोण परस्पर विरोधाभासी है ।

251. प्रत्यर्थियों ने अपना लिखित बयान 4–11–1992 को दिया था।

252. प्रत्यर्थियों का दृष्टिकोण सारतः इस प्रकार है:— प्रत्यर्थियों ने आठ सदस्यों के निष्कासन, व्हिप के उल्लंघन के आधार पर चार सदस्यों की निरर्हता तथा पार्टी छोड़ने के आधार पर आठ सदस्यों की निरर्हता के प्रश्नों पर वही बात दोहराई है जो उन्होंने अन्य याचिकाओं में कही थी ।

253. उनका कहना है कि वे मूल जनता दल के सदस्य है और इस प्रकार अन्य सभी जनता दल के सदस्य हैं, सिवाए उनके जो विशिष्ट रूप से ऐसा मानने से इंकार करते है ।

254. उन्होंने अन्य अधिकांश बातों का खण्डन किया है ।

255. रिकार्ड में यह दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि 7–8–1992 से पूर्व जनता दल में विभाजन हो गया था।

256. दसवीं अनुसूची संसदीय दल में न कि संसद से बाहर राजनीतिक पार्टी में विभाजन से संबंधित है । यह कानून निर्वाचित सदस्यों से गठित संसदीय पार्टी को संरक्षण प्रदान करता है और संसद से बाहर राजनीतिक पार्टी को संरक्षण प्रदान नहीं करता। इसका उद्देश्य दल-बदल को रोकना है । इसका उद्देश्य संसद से बाहर राजनीतिक दलों को संरक्षण प्रदान करना नहीं है । इसलिए प्रत्यर्थियों को 5–2–1992 के अपर्याप्त संख्या से पार्टी छोड़ने के आधार पर निरर्ह घोषित नहीं किया गया जा सकता ।

257. इसलिए, याचिका खारिज किए जाने लायक है और इसे खारिज किया जाता है ।

दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1) (क) के अधीन श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री और तीन अन्य सदस्यों के विरुद्ध याचिका।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री तथा तीन अन्य सदस्यों के विरुद्ध याचिका

258. 3–10–1992 को श्री श्रीकान्त जेना, संसद में जनता दल के मुख्य सचेतक ने भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के अनुसार सर्व/श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री, राम निहोर राय, राम अवध और शिव शरण वर्मा के विरुद्ध एक संयुक्त याचिका दायर की ।

259. कुल 14 याचिकाओं में से 12 याचिकाएं संसद में जनता दल के नेता श्री वी० पी० सिंह द्वारा दायर की गई हैं और 2 याचिकाएं संसद में जनता दल के मुख्य सचेतक श्री कान्त जेना द्वारा दायर की गई है ।

260. श्री वी०पी० सिंह ने लगभग सभी याचिकाओं में दावा किया है कि श्री अजित सिंह तथा तीन अन्य सदस्यों की दल की प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी गई है और इसलिए वे जनता दल संसदीय दल की अपनी सदस्यता खो चुके थे अतः वे श्री बोम्मई की अध्यक्षता वाले जनता दल के एक भाग के रूप में अपेक्षित संख्या में सदस्यों सहित अलग ग्रुप नहीं बना सके ताकि अलग होने वाले सदस्य अयोग्य घोषित न हो सकें ।

261. श्री श्रीकान्त जेना ने इस याचिका तथा श्री अजित सिंह और तीन अन्य सदस्यों के विरुद्ध दायर की गई याचिका में दावा किया है कि श्री अजित सिंह और तीन अन्य सदस्यों ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया था कि 5–2–1992 को वे श्री बोम्मई की अध्यक्षता वाले दल से अलग हो गए थे तथा 5–2–1992 को उन्होंने एक नए दल का गठन कर लिया था ।

262. यदि नया दल बनाया गया था और यदि श्री अजित सिंह तथा अन्य सदस्य नए दल के सदस्य बन गए थे तो वे अपेक्षित संख्या में संसदीय दल से अलग होने के लिए 7–8–1992 को दल में सम्मिलित नहीं हो सकते थे ।

263. इस प्रकार 7–8–1992 को अन्य शेष सदस्य केवल 16 थे और वे अपेक्षित संख्या वाले ग्रुप का गठन नहीं कर सके और इसलिए इस याचिका में उल्लिखित प्रतिवादी, जिन्होंने 7–8–92 को अध्यक्ष महोदय को दिए गए आवेदन में हस्ताक्षर किए थे, अपर्याप्त संख्या में अपना दल छोड़ने के कारण अयोग्य हो गए ।

264. श्री वी.पी. सिंह द्वारा कही गई बात श्री श्रीकान्त जेना द्वारा कही गई बात के विपरीत है ।

265. याचिकादाता ने मांग की है कि प्रतिवादी को एक निश्चित मत कायम करना चाहिए और उसे कभी स्वीकार और कभी अस्वीकार नहीं करना चाहिए तथापि, याचिकादाता स्वयं उसे कभी स्वीकार और कभी अस्वीकार करते प्रतीत होते हैं।

266. ऐसा प्रतीत होता है कि जनता दल के "आर बोम्मई के नेतृत्वाधीन गुट ने अपने इस मत को त्याग दिया है कि संसद सदस्यों को संसदीय दल से निकाला जा सकता है ।

267. प्रतिवादियों ने 4–11–1992 को अपना लिखित वक्तव्य दर्ज कराया है ।

268. लिखित वक्तव्य द्वारा वे कहते हैं कि श्री अजीत सिंह और सात अन्य सदस्य कानूनी तौर पर जनता दल संसदीय पार्टी से नहीं निकाले जा सकते थे, कि श्री राम सुन्दर दास और तीन अन्य सदस्य इस आधार पर अनर्ह नहीं ठहराये जा सकते थे कि उन्होंने उन्हें जारी किये गये व्हिप का उल्लंघन किया था ।

269. उन्होंने कहा है कि श्री अजीत सिंह और तीन अन्य सदस्य वास्तविक जनता दल के हैं और इस प्रकार जनता दल संसदीय पार्टी के सभी अन्य सदस्य उसके गुट के हैं बशर्ते उनमें से कोई विशेष रूप से कोई भिन्न घोषणा न करे।

270. ऐसा पहले ही से माना जाता है कि जनता दल के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह और तीन अन्य सदस्यों को जनता दल की संसदीय पार्टी से निष्काषित नहीं कर सकते थे और उनके अधिकारों और कर्तव्यों को कम नहीं कर सकते थे । वे जनता दल की संसदीय पार्टी के सदस्य बने रहे ।

271. यह भी माना जाता है कि श्री राम सुन्दर दास और तीन अन्य सदस्य 7–8–1992 को जनता दल की संसदीय पार्टी और लोक सभा के वैध सदस्य थे । इसलिए उस तारीख को जनता दल संसदीय पार्टी से अलग हो रहे गुट के सदस्य बन सकते थे ।

272. इसलिए ऐसा मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री और तीन अन्य सांसद तथा सोलह अन्य प्रतिवादी संसद में जनता दल के 1/3 सदस्यों का एक गुट बना सकते हैं और अनर्ह हुये बिना जनता दल संसदीय पार्टी के अन्य सदस्यों से अलग हो सकते हैं ।

273. याचिकादाता का यह मत वैध, कानूनी और उचित नहीं है कि दल से निष्काषित सदस्य संसदीय पार्टी की सदस्यता खो चुके हैं । इसके उचित न होने के कारण पिछले पैरा में दिए गए हैं ।

274. इसलिए यह निर्णय लेना संभव नहीं है कि भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के अनुसार प्रतिवादी लोक सभा के सदस्य रहने के लिए अनर्ह हो गए हैं।

275. अतः जब उक्त आवेदन अध्यक्ष को दिया गया, इस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य अपेक्षित संख्या में उपस्थित थे और इसलिए इस याचिका में जो प्रतिवादी है, वे अपर्याप्त संख्या में अपनी पार्टी से अलग हो जाने के आधार पर अनर्ह हुये नहीं माने जा सकते ।

276. इसलिए यह निर्णय लिया जाता है कि याचिका रद्द किये जाने योग्य है और इसे रद्द किया जाता है ।

मामले तथा विधि पर कुछ विचार।

इस प्रकरण में मुद्दे कितने महत्वपूर्ण जटिल तथा पीड़ा-दायक हैं ? इसके नैतिक कानूनी तथा राजनीतिक पहलू ।

277. यह मामला महत्वपूर्ण और जटिल है । यह थोड़ा पीड़ादायक भी है ।

278. यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका भारत के लोकतन्त्र और संसदीय प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है।

279. यह जटिल है क्योंकि इसमें भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची और भारतीय नागरिकों को तथा संसद में उसके प्रतिनिधियों की स्वतंत्रता, उनके अधिकारों और दायित्वों की व्याख्या अन्तर्ग्रस्त है।

280. दसवीं अनुसूची एक नया कानून है। ऐसे पूर्वोदाहरण अधिक संख्या में उपलब्ध नहीं है जिनके आधार पर इसका निर्वाचन किया जाए और इसे लागू किया जाए। यह न तो सरल है न ही त्रुटिहीन है।

281. इस पूरे मामले में एक आवेदन और चौदह याचिकाएं है। याचिकाओं में कुछ तर्क तो परस्पर विरोधी और अप्रासंगिक भी हैं।

282. इस प्रकरण से संबंधित पक्षों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि उन्हें इस प्रकरण से जुड़े कानूनी मुद्दों की ठीक-ठीक जानकारी होगी। उसके दृष्टिकोण कानूनी होने के बजाए राजनीतिक रहे हैं।

283. यह प्रकरण पीड़ादायक रहा है क्योंकि समय-समय पर पार्टियों द्वारा ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं जो आघात पहुंचाते हैं। फिर भी इसे सभी संबंधित पार्टियों द्वारा अन्ततः जिम्मेदाराना तरीके से निपटाया गया। इस मामले में उपस्थित होने वाले वकील इस मामले पर प्रकाश डालने में सफल रहे तथा उन्होंने संयमित और तर्कपूर्ण ढंग से कार्यवाही को चलाया।

284. कुछ व्यक्तियों के अनुसार इस मामले के नैतिक, कानूनी और राजनीतिक पहलू हैं।

285. नैतिकता से जुड़े मामलों पर न्याय देना आसान नहीं है। जिन्हें कानून के आधार पर मामलों को निपटाना होता है, उनके लिए मुद्दे पर निर्णय लेते समय उसमें नैतिकता के सिद्धान्तों को लागू करने की गुंजाइश बहुत कम होती है। पार्टियों द्वारा लिए गए नैतिक निर्णयों और कानूनी निर्णयों के बीच विरोध हो सकते हैं। कानूनन ऐसे मामलों में कानूनी निर्णय को वरीयता मिलती है जिन्हे निर्णय लेना होता है, उन्हें कानून के आधार पर निर्णय लेते समय भरसक नैतिकता के सिद्धान्त को ध्यान में रखना होता है।

286. इस प्रकार के मामलों में कानून के आधार पर निर्णय लेना होता है। वर्तमान मामले में कानून के आधार पर निर्णय लिया जाना है। कानून के आधार पर निर्णय लेना आसान है। परन्तु यदि कानून स्पष्ट न हो, अथवा उसका सही निर्वाचन नहीं किया जाता है, तो निर्णय लेना भी कठिन हो जाता है।

287. राजनैतिक मामले और पहलूओं दोनों ही प्रायः स्पष्ट नहीं होते और जटिल होते हैं। वे समस्याओं और मुद्दों को सुलझा भी सकते हैं, पैदा कर सकते हैं और उन्हे जटिल भी बना सकते हैं। वे प्रशंसनीय अथवा अप्रशंसनीय, सरल अथवा पीड़ादायक भी सिद्ध हो सकते है।

288. ऐसे मामलो में राजनैतिक पहलुओं के पीड़ादायक विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाले अवसर सीमित भी हो सकते हैं अथवा असीमित भी हो सकते है। कोई व्यक्ति केवल यही आशा ही कर सकता है कि उनकी भूमिका सीमित और प्रतिष्ठित हो सकती है।

289. वर्तमान मामला 20 सांसदों की सदस्यता से संबंधित है जो दो करोड़ से भी अधिक भारतीय नागरिकों के प्रतिनिधि हैं। वे जनता द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। लोकतंत्र में, जनमत का अपना ही महत्व है।

290. तथापि जनप्रतिनिधियों से यह आशा की जाती है कि वे कानूनों का पालन करेंगे। दल-बदल की समस्या पर काबू पाना आसान कार्य नहीं है। यदि यह समस्या अनियंत्रित रहती है, यह संसदीय और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का विनाश कर सकती है।

291. अतः कोई भी कदम अनियंत्रित और आवेगपूर्ण तरीके से नहीं उठाए जाते हैं। बल्कि न्याय करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। जिन्हें कानून का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है उन्हें सजा हो सकती है।

292. निर्णय करना आसान नहीं है।

293. जिस व्यक्ति को किसी निर्णय पर पहुंचना है और निर्णय करना है उसके लिए केवल एक ही मार्ग उपलब्ध है कि वह स्वविवेक से न्याय करे। इस मामले में भी ऐसा ही करने का प्रयास किया गया है।

इस कानून के बारे में कुछ सुझाव

दसवीं अनुसूची

294. भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची को जिन उद्देश्य के लिए लाया गया है वह इसमें काफी हद तक सफल रही है। इसमें कुछ खामियां और दोष भी है। उन्हें अब दूर कर दिया गया है और अब वे बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। उन्हें अब कानून में नहीं रखा जाना चाहिए।

व्याख्याएं

295. इसमें कुछ शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है जिन्हें स्पष्ट नहीं किया गया है। उनकी उचित व्याख्या दी जानी चाहिए ताकि उनमें उल्लिखित अवधारणाओं को अधिक सुस्पष्ट और सुव्यक्त बनाया जा सके।

संभावित स्थितियां

296. विधि में उन स्थितियों से निपटने का प्रावधान नहीं है जो दल बदल संबंधी मामलों पर विचार करते समय पैदा होती है इसे और अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए तथा इसमें उन संभव स्थितियों के लिए प्रावधान होना चाहिए जो विधि की व्याख्या करने तथा उसे लागू करने से हो सकती हैं।

विधान मंडल के बाहर पार्टी क्रियाकलाप

297. विधान मंडल में दल बदल पर इस विधि के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। विधान मंडल मे दल बदल राजनैतिक दलों के क्रियाकलापों से संबंधित होती है। संसदीय दलों के सदस्यों के क्रियाकलाप संविधान की दसवी अनुसूची, अन्य उपन्धो, अन्य संबंधित विधियों तथा विधान मंडल

द्वारा अनुसरण किये जा रहे कार्य संचालन नियमों के अन्तर्गत आते हैं ।

298. विधान मंडल के बाहर राजनैतिक दलों के क्रियाकलाप विधिक उपबंधों के अनुसार नहीं किए जाते हैं क्योंकि इस प्रयोजनार्थ कोई विधि विद्यमान नहीं है । उनको कठिन विधियों के अन्तर्गत रखना सरल अथवा वांछनीय नहीं है । राजनैतिक दलों को अपने क्रियाकलापों को स्वेच्छा से करने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन समय-समय पर विधान मंडल में दल बदल पर नियंत्रण करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि राजनैतिक दलों के क्रियाकलाप अपेक्षित ढंग से किए जाएं ।

299. इसे कैसे किया जा सकता है इस बात की जांच की जानी चाहिए । राजनैतिक दलों के कुछ क्रियाकलापों को दसवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए इसे और अधिक व्यापक बनाया जा सकता है ताकि यह अधिक प्रभावी बन सके अथवा सभी संबंधित लोगों द्वारा राजनैतिक दलों के क्रियाकलापों को अपेक्षित ढंग का बनाने के लिए सहमत होकर कोई अन्य विधान बनाया या पारित किया जा सकता है ।

निर्णायक प्राधिकारी

300. इस समय दल बदल विरोधी कानून से संबंधित मामलों पर अध्यक्ष और सभापति निर्णय करते हैं ।

301 मूलतः उनके निर्णय अन्तिम समझे जाते थे जब उन पर न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा की जाती है । विधि में निर्णयों को अन्तिम मानने और न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा न किये जाने संबंधी उपबन्ध को इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि इसका अपेक्षित संख्या में राज्य विधान मण्डलों द्वारा अनुसमर्थन नहीं किया गया क्योंकि इसमें न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार को समाप्त करने की बात निहित है ।

302. यदि अध्यक्ष या सभापति द्वारा दिये गये निर्णय को अन्तिम रूप देने के बारे में निर्णय लिया जाता है तो जिस उपबन्ध को रद्द कर दिया गया था उसे इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया द्वारा पुनः बहाल किया जा सकता है ।

303. फिर भी न्यायपालिका निर्णयों की पुनरीक्षा करने संबंधी निहित क्षेत्राधिकार का दावा कर सकती है ।

304. परन्तु विधि में अध्यक्ष या सभापति के निर्णय को अन्तिम रूप दिए जाने संबंधी उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग बहुत कम और विशेष मामलों में ही किया जा सकता है जोकि बार-बार और नियमित रूप में पुनरीक्षा करने देने के मामलों से भिन्न है ।

305. या हम विधि में संशोधन करके यह उपबंध कर सकते हैं कि यदि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित मामले संसद से संबंधित हों तो इन मामलों का निर्णय उच्चतम न्यायालय के एक या दो न्यायाधीशों द्वारा और यदि ये मामले राज्य विधानमण्डलों से संबंधित हों तो उच्च न्यायालय के एक या दो न्यायाधीशों द्वारा किया जा सकता है ।

306. इन मामलों को निर्णय के लिए न्यायपालिका को देने के अनेक लाभ हैं ।

307. कानूनी मामलों को निपटाने के लिए न्यायधीश बेहतर स्थिति में होते हैं । दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित मामलों पर पूरी तरह से कानून के अनुसार ही निर्णय लिया जाना होता है । अध्यक्ष या सभापति विधि विशेषज्ञ और कानून में पारंगत हो भी सकते हैं और नहीं भी । परन्तु यह निश्चित है कि वह इस संबंध में उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य नहीं हो सकते, जिनका मुख्य कार्य ही कानूनी मामलों की सुनवाई करना है और कानून के अनुसार ही उन पर निर्णय देना है ।

308. जब दल बदल विरोधी कानून से संबंधित मामलों की अध्यक्ष या सभापति द्वारा सुनवाई की जाती है तो विवाद में संबंधित दल उनके समक्ष उपस्थित होते हैं और मामलों की पैरवी करते हैं। वे तथ्यों और कानून की व्याख्या की प्रक्रिया एवं सिद्धान्तों से पूर्णरूपेण अवगत हो भी सकते है और नहीं भी । इसलिए वे इस प्रकार के मामलो पर निर्णय लेने में सीमित रूप से ही सहायक हो सकते हैं ।

309. वकील लोग इस तरह से बहस कर सकते हैं और मामलों की पैरवी कर सकते हैं जो मामलों को बेहतर तरीके से निपटाने में सहायक होते हैं, किसी न्यायालय में वकील लोग लोक सभा अध्यक्ष अथवा राज्य सभा के सभापति के सम्मुख पेश हो सकते हैं जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है । लेकिन लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति के सम्मुख पेश होने की प्रक्रिया और उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के सम्मुख पेश होने की प्रक्रिया में अंतर है ।

310. जब अध्यक्ष अथवा सभापति के समक्ष मामले की पैरवी की जाती है तो जो तर्क-वितर्क दिए जाते है उनका आधार कानूनी न होकर राजनैतिक होता है ।

311. दसवीं अनुसूची भारत के संविधान का एक अंग है । संविधान की व्याख्या करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को है । इसलिए यह बेहतर होगा यदि दसवीं अनुसूची से संबंधित मामलों का निर्णय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करें ।

312. हमारे देश के विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारियों ने इस विषय पर विचार किया है । इस बारे में उनका अपना-अपना दृष्टिकोण है इन मामलों में वे पुनः विचार करने के बाद निष्कर्ष निकाल सकते हैं ।

313. इस पहलू पर कई अन्य मंचों पर भी विचार किया गया है । इस बारे में अब अंतिम रूप से विचार करके, यथा शीघ्र निर्णय ले लिया जाना चाहिए ।

व्हिप (सचेतक)

314. भारत के सभी नागरिक स्वेच्छा से मतदान कर सकते हैं, लेकिन, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने दल के नेताओं के निदेशानुसार मतदान करना होता है ।

315. इस प्रावधान को व्हिप का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए सम्मिलित किया गया था । दल-बदल विरोधी कानून में इस आशय का प्रावधान करने की आवश्यकता है ।

316. क्या यह आवश्यक है कि जन प्रतिनिधियों को सभी मामलों में एक विशेष ढंग से मत देने के लिए कहा जाए ?

317. सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तथा चुनाव घोषणा पत्र में शामिल विषयों पर चर्चा के दौरान और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को एक विशेष रुख अपनाने तथा विशेष ढंग से मतदान करने के लिए कहा जा सकता है ।

318. उन सभी विषयों में, जिन पर मत विभाजन के दौरान मत देने के एक विशेष ढंग को अपनाने के निर्देश दिये जा सकते हैं, उसको कानून का एक अंग बनाया जा सकता है तथा उसका सभी दलों और सदस्यों द्वारा पालन किया जा सकता है । इन विषयों पर मत विभाजन के दौरान सदस्यों को विशेष ढंग से मतदान करने के निर्देश भी दिये जा सकते हैं ।

319. शेष विषयों पर मत विभाजन के समय सदस्यों को विशेष विधि द्वारा ही मतदान करने के निर्देश देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

320. यदि दसवीं अनुसूची में इस प्रकार के प्रावधानों को सम्मिलित कर दिया जाए तो हम वह उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे जिसके लिए दलबदल विरोधी कानून बनाया गया है तथा यह कानून मूलभूत अधिकारों के अध्याय में उल्लेखित सिद्धान्तों व दूसरे देशों में संसदीय तथा लोकतान्त्रिक प्रणालियों में अनुपालित सिद्धान्तों को विधान मण्डल के सदस्यों को और अधिक सुगमतापूर्वक उपलब्ध करवाने में सहायक होगा ।

कानून में अन्य प्रावधान :

321. कानून में कुछ अन्य ऐसे प्रावधान हैं जिनकी आलोचना की गई है तथा जिन्हें विधान मण्डलों में कार्य करने वाले और अन्य लोगों द्वारा पसन्द नहीं किया जाता ।

322. कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें परिष्कृत और सुगम बनाने की आवश्यकता है ।

323. कुछ स्वागतयोग्य प्रावधानों को इसमें शामिल करके इस कानून को और अधिक कठोर व प्रभावी बनाया जा सकता है ।

इस प्रयोजनार्थ समिति :

324. उपर्युक्त प्रयोजनों तथा अन्य प्रयोजनों के लिए भी दसवीं अनुसूची से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए केन्द्रीय कार्यपालिका, राज्य-कार्यपालिका के प्रतिनिधियों, विधान-मंडलों के पीठासीन अधिकारियों के प्रतिनिधियों तथा विधायकों, संसदीय एवं विधायी मामलों में दक्ष न्यायविदों एवं अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके एक समिति गठित की जा सकती है तथा की जानी चाहिए तथा उस समिति को कानून में निहित खामियों एवं तत्सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के बारे में कम समय में एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है । तत्पश्चात् प्रतिवेदन पर तत्परता से कार्यवाही की जा सकती है ।

क्या हम कोई अन्य उपाय अपना सकते हैं ?

325. क्या इन उद्देश्यों के लिए हम कोई अन्य उपाय अपना सकते हैं ?

326. क्या हम संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़ सकते हैं जिससे उस किस्म के कानून रखने की आवश्यकता न पड़े, जिस प्रकार के अब हैं ।

327. ऐसे संकेत हैं कि ऐसा संभव है और किया जा सकता है ।

328. वास्तव में यह कैसे किया जा सकता है, इस स्थान पर विस्तार में इस बात की चर्चा करने की न तो आवश्यकता है और न ही ऐसा किया जा सकता है । स्मरणीय और द्रष्टव्य बिन्दु यह है कि इस सुझाव पर अमल संभव है और उसकी जांच की जानी चाहिए और यदि वह व्यवहारिक हो तो उस पर अमल होना चाहिए ।

आदेश

1. यह अभी निर्धारित किया जाता है कि संसद के 20 सदस्य जिन्होंने "श्री एक" अंकित आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं, 7-8-1992 को संसद के सदस्य थे ।

2. आवेदन में उनके द्वारा की गई प्रार्थना स्वीकार्य है और इस समय मौजूदा सांसदों के संबंध में स्वीकार की जाती है ।

3. भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची और लोक सभा के सदस्य (दल-बदल के आधार पर अनर्हता) नियम, 1985 के अंतर्गत यह फैसला किया जाता है—

(एक) कि सर्वश्री राम सुन्दर दास, गोविन्द चंद्र मुण्डा, गुलाम मोहम्मद और राम बदन लोक सभा के सदस्य के रूप में अनर्ह हो गये हैं और इस आदेश की तिथि में वे लोक सभा के सदस्य नहीं रहे हैं;

(दो) कि श्री वी.पी. सिंह द्वारा सर्वश्री अनादि चरण दास, सूर्य नारायण यादव, रामलखन सिंह यादव, राम शरण यादव, रोशन लाल, अर्जुन सिंह यादव, अभय प्रताप सिंह और उपेन्द्र नाथ वर्मा संसद सदस्यों के विरुद्ध दायर की गई याचिकाएं ;

(तीन) कि श्री श्री कान्त जैना द्वारा सर्वश्री अजीत सिंह, रशीद मसूद, हरपाल पंवार और सत्यपाल सिंह यादव, संसद सदस्यों के विरुद्ध दायर याचिका;

(चार) कि श्री श्रीकान्त जैना द्वारा सर्वश्री राजनाथ सोनकर शास्त्री, राम निहोर राय, राम अवध एवं श्री शिव शरण वर्मा के विरुद्ध दायर याचिका;

इस आधार पर रद्द की जाती हैं कि 7-8-1992 को जब वो लोग दल से अलग हुए उस समय वे सभी लोक सभा के सदस्य थे और उनकी सदस्य संख्या जनता दल विधायी पार्टी की कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 भाग के बराबर थी ।

इस आदेश की प्रतियां याचिकादाताओं, व्यक्तियों/सदस्यों, जिनके संबंध में याचिकाएं दी गई हैं तथा लोक सभा में जनता दल के विधायी पार्टी के नेता को अग्रेषित की जाएं ।

(शिवराज वी. पाटिल)
अध्यक्ष, लोक सभा ।

संसद भवन,
नई दिल्ली ।
तिथि—1 जून, 1993

[सं. 46/1/92/टी.]
सी.के. जैन, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 1993

S.O. 350(E).—The following Decision dated 1 June, 1993, of the Speaker, Lok Sabha, given under the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified :—

BEFORE HONOURABLE SPEAKER LOK SABHA

In the matter of application filed by 20 Members of Janata Dal Legislature Party on 7 August 1992

&

In the matter of four petitions filed by Shri V. P. Singh against S|Shri Ram Sundar Das, Govind Chandra Munda, Ghulam Mohammed Khan and Ram Badan, MPs

&

In the matter of eight petitions filed by Shri V. P. Singh against S|Shri Anadi Charan Das, Suryanarayan Yadav, Ramlakhan Singh Yadav, Ram Sharan Yadav, Roshan Lal, Arjun Singh Yadav, Abhay Pratap Singh and Upendranath Verma, MPs

&

In the matter of two composite petitions filed by Shri Srikant Jena against (i) S|Shri Ajit Singh, Rasheed Masood, Harpal Panwar and Satyapal Singh Yadav and (ii) S|Shri Rajnath Sonkar Shastri, Ramnihore Rai Ram Awadh and Shivsharan Verma, MPs.

FACTS

MAIN POINTS IN THE PLEADINGS

1. The Janata Dal got 59 Members elected to the Tenth Lok Sabha. Shri V. P. Singh was the Leader of the Janata Dal Parliamentary Party.

2. On 7-8-1992, S|Shri Ramlakhan Singh Yadav, Ram Sharan Yadav, Ram Sundar Das, Upendranath Verma, Suryanarayan Yadav, Govind Chandra Munda, Anadi Charan Das, Ajit Singh, Rashid Masood, Harpal Panwar, Abhay Pratap Singh, Ghulam Mohammed Khan, Ramnihore Rai, Ram Badan, Ram Awadh, R. Sonker Shastri, Shivsharan Verma, Satyapal Singh Yadav, Arjun Singh Yadav, and Roshan Lal gave an application to the Speaker asking that they should be given separate seats in the Lok Sabha. It is marked as "D1"

3. The application bore the signatures of the above mentioned 20 Members of the Lok Sabha and also four more signatures. These four signatories did not accompany the 20 Members when the application was delivered to the Speaker.

4. The 20 Members were asked to sign the application again, confirming that they had put their signatures on the application of their free will.

5. A photocopy of the said application was sent to Shri V. P. Singh for his comments.

6. Shri V. P. Singh filed his written statement on 11-8-1992.

7. In essence what is stated in the written statement is as follows :

(i) S|Shri Ajit Singh, Rashid Masood, Harpal Panwar and Satyapal Singh Yadav, all Members of the Lok Sabha, were expelled from the primary membership of Janata Dal By Shri S. R. Bommai, President of the Janata Dal. Shri Ajit Singh was expelled on 26-12-1991. The three others were expelled in the month of January 1992.

(ii) S|Shri R. Sonker Shastri, Ramnihore Rai, Ram Awadh and Shivsharan Verma, all Members of the Lok Sabha, were expelled from the primary membership of the Party by Shri S. R. Bommai, President of the Janata Dal on 19-7-1992.

(iii) As such, the eight Members mentioned above had also lost their membership of Janata Dal Legislature Party.

(iv) They could not thus form part of the group of 20 Members seeking to separate from their original Party i.e. Janata Dal.

(v) S|Shri Ram Sundar Das, Govind Chandra Munda, Ghulam Mohammed Khan and Ram Badan, all Members of the Lok Sabha, had violated the whips issued to them, for voting in favour of the No Confidence Motion moved against the Government on 17-7-1992. Under the provision of Rule 2(1)(b) of the Tenth Schedule of the Constitution of India, they had incurred disqualification, and they had ceased to be Members of the Lok Sabha from 17-7-1992.

(vi) Thus, out of 20 Members, 12 Members had incurred disqualification, and ceased to be the Members of the Lok Sabha.

(vii) S|Shri Ram Sharan Yadav, Abhay Pratap Singh, Ramlakhan Singh Yadav, Anadi Charan Das, Roshan Lal, Arjun Singh Yadav, Upendranath Verma and Suryanarayan Yadav—all eight Members of the Lok Sabha, could not form a group of Members consisting of 1/3 of Members of Janata Dal Parliamentary Party who could separate from Janata Dal as per the provision of para 3 of the Tenth Schedule of the Constitution of India. They too had incurred disqualification under para 2(1)(a) of the Tenth Schedule and ceased to be Members of Lok Sabha from 7-8-1992.

(viii) So, the Application of the said 20 Members should be rejected.

8. In terms of para 2(1)(b) of the Tenth Schedule, Shri V. P. Singh filed petitions against S|Shri Ram Sundardas Das, Govind Chandra Munda, Ghulam Mohammad Khan and Ram Badan, all Members of the Lok Sabha, on 11-8-1992.

9. In essence, the relevant points in the petitions are identical. They are as follows :

(i) The Respondents were directed to vote in favour of the No Confidence Motion moved against the Government.

(ii) On 17-7-1992, voting took place on the said Motion.

(iii) The Respondents abstained from voting and violated the whip issued to them voluntarily

(iv) Therefore, they incurred the disqualification and ceased to be the Members of the Lok Sabha from 17-7-1992.

(v) The Petitioner sought a declaration to that effect.

10. The Respondents filed their written statements on 19-8-1992.

In essence, they state that :

(i) They had not violated the whips voluntarily.

(ii) They tried to vote on the Motion as per the directions of the Party;

(iii) But, due to the reason, given in para 11 of each of the written statements, they could not abide by the whips issued to them.

(iv) Their acts were involuntary and so they were not liable to be disqualified.

11. In Para 11 of his written statement, Shri Ram Sundar Das says, in essence that—

(i) On the day of voting on the No Confidence Motion, he was resting in the Library of the Parliament, as he was not well due to Blood Pressure.

(ii) When the Division Bell rang, he rushed to the Lok Sabha Chamber.

(iii) However, by the time he reached the entrance of the Lok Sabha Chamber, the doors were closed and he could not enter the House

(iv) He wanted to vote in favour of the Motion, but could not.

(v) His act of not voting was involuntary.

(vi) So, he was not liable to be disqualified

12. In para 11 of his written statement, Shri Govind Chandra Munda, in essence, says that—

(i) He was not well on July 15, 16 and 17, 1992 and was suffering from acute pain in his neck and body due to cervical spondilitis.

(ii) On 17-7-1992, he attended the morning Session of the Lok Sabha. But, in the afternoon, he went to his house because he felt unwell and took some herbal medicine which made him unconscious.

(iii) He wanted to vote on the Motion. He had kept his Party leader informed that if he was required to be present in the House to vote, he should be taken in an ambulance with the approval of the Doctor, to the Lok Sabha, to vote on the Motion. But that was not done.

(iv) His abstention from voting was involuntary.

(v) So, he was not liable to be disqualified.

13. In para No. 11 of his written statement, Shri Ghulam Mohammed Khan, in essence, says that—

(i) He was suffering from Diabetes and other ailments and was not well on 17-7-1992 and on two days before that date;

(ii) He was admitted in the Ram Manohar Lohia Hospital and was in the Hospital on 17-7-1992.

(iii) He wanted to vote on the Motion.

(iv) So, he had informed the Party Leader that if his presence in the House was necessary, he could be taken to the House, with the consent of the Doctor.

(v) His act of not voting was involntary.

(vi) So, he was not liable to be disqualified.

14. In para.11 of his written statement, Shri Ram Badan says that—

(i) He was present in the Lok Sabha on 17-7-1992 and pressed the Button, supporting the Motion.

(ii) His eye sight is weak. So he could not see on the Board to find out if his vote was rightly recorded.

(iii) He asked the attendant in the House, who was giving slips to the Members to correct their votes wrongly recorded, if his vote was recorded. And he was informed by the attendant that his vote was recorded.

(iv) Afterwards, he found out that his vote was not recorded.

(v) He wanted to vote in favour of the Motion.

(vi) He did not violate the whip voluntarily.

(vii) Hence, he was not liable to be disqualified.

15. In terms of para 2(1)(a) of the Tenth Schedule, on 22-8-1992, Shri V. P. Singh filed eight petitions against S|Shri Ramsharan Yadav, Abhay Pratap Singh, Ramlakhan Singh Yadav, Anadi Charan Das, Roshan Lal, Arjun Singh Yadav, Upendranath Verma and Suryanarayan Yadav, all Members of the Lok Sabha.

16. In essence, the contents of the Petitions are identical, except the names of the Respondents and are as follows :

(i) S|Shri Ajit Singh, Rashid Masood, Harpal Panwar, Satyapal Singh Yadav, R. Sonker Shastri, Ramnihore Raj, Ram Awadh and Shivsharan Verma were expelled from the primary membership of Janata Dal, by the

President of the Party Shri S. R. Bommai. So, they had lost their membership of the Legislature Party They formed one group

(ii) S|Shri Ram Sundar Das, Govind Chandra Munda, Ghulam Mohammed Khan and Ram Badan had violated the whip issued to them on 17-7-1992 and had incurred liability of disqualification under 2(1)(b) of the Tenth Schedule and ceased to be Members of the Lok Sabha from 17-7-1992. They formed the second group.

(iii) The eight respondents formed the third group.

(iv) The three groups could not form one composite group of Members to be able to separate from the Janata Dal, without incurring the liability of disqualification.

(v) The Respondents could not enjoy the immunity provided in para 3(a)(i) of the Tenth Schedule, as they were not one third of the 51 Members of Janata Dal, on 7-8-1992, as the eight Members who were expelled and the four Members who had ceased to be Members of the Lok Sabha from 17-7-1992, could not be counted in the group alongwith them.

(vi) Janata Dal was not split outside the Parliament, as required, to allow the Legislature Party of Janata Dal to split legally.

(vii) The Petitioner prays for declarations that the Respondents are disqualified and cease to be Members of the Lok Sabha from 7-8-1992.

17. The Respondents filed their written Statements on 31-8-1992.

18. In essence, they state that—

(i) The eight Members could not be expelled by the Party Leaders as per the Tenth Schedule of the Constitution of India.

(ii) The four members had not voluntarily abstained from voting and had not voluntarily violated whips and had not lost their membership of the Lok Sabha.

(iii) On 7-8-1992, Janata Dal Legislature Party had 59 Members.

(iv) On 7-8-1992, Janata Dal Legislature Party had split.

(v) 20 Members who had formed one group and were more than 1|3 of the Members of Janata Dal Legislature Party and sought permission to sit separately and split the party, had not incurred disqualification and did not cease to be Members of the Lok Sabha in view of the provision of para 3(a)(i) of the Tenth Schedule of Constitution of India.

(vi) Ajit Singh faction claimed to be the original Janata Dal.

(vii) Hence, the petitions deserved to be disallowed.

19. On 3-10-1992, Shri Shrikant Jena, Member of Lok Sabha and Chief Whip of the Janata Dal Parliamentary Party filed one petition against S|Shri Ajit Singh, Rashid Masood, Harpal Panwar and Satyapal Singh Yadav, in terms of para 2(1)(a) and under para 6 of the Tenth Schedule.

20. In essence, the main points made in the Petition are that—

(i) the Respondents claimed that on 5-2-1992, the Janata Dal was split and Shri Ajit Singh was endorsed as the President of the Party.

(ii) When the split took place on 5-2-1992, there were only four Members from the Lok Sabha who were part of the group splitting the Party.

(iii) The four Members were not equal to 1|3 of the Members of Janata Dal in Lok Sabha to enjoy immunity under para 3(a)(i) of the Tenth Schedule of the Constitution of India.

(iv) Four Members of the Janata Dal had incurred disqualification and lost their membership of Lok Sabha on 17-7-1992 for having violated the whips.

(v) The Petitioner had stated that the four Respondents and other four Members were expelled from the primary membership of Janata Dal and as such had lost their membership of Janata Dal in Parliament.

(vi) In view of the clear admission given by the Respondent that they had split the Party on 5-2-1992, in the written statements filed by them and in the statements given before the Election Commission, the Petitioner prays that the Respondents be declared to have incurred disqualification and lost their membership of the Lok Sabha with effect from 5-2-1992.

21. The Respondents filed their written statement on 4-11-1992.

22. In essence, the Respondents' stand is that—

(i) The Petitioner cannot be allowed to approbate and reprobate.

(ii) The Petitioner cannot say that the Respondents are not Members of Janata Dal and Janata Dal Parliamentary Party, as they were expelled from the Party and also that they should be declared as disqualified and ceased to be Members of the Lok Sabha from 5-2-1992.

(iii) The Group of Respondents is the original Janata Dal and as such all the Members of the Party in Parliament belong to their group unless and until they specifically declare otherwise.

(iv) The Respondents deny other contents of the Petition.

(v) The Respondents pray that the Petition be dismissed.

23. On 3-10-1992, Shri Shrikant Jena, Member of Lok Sabha and Chief Whip of Janata Dal Parliamentary Party filed one petition against S|Shri R. Sonker Shastri, Ramnihore Rai, Ram Awadh and Shivsharan Verma, all Members of Lok Sabha, in terms of para 2(1)(a) of the Tenth Schedule to the Constitution of India.

24. In essence, the Petitioner says that—

(i) Shri Ajit Singh and three others and the Respondents in this case were expelled by the Party.

(ii) Shri Ram Sundar Das and three others had violated the whips and incurred disqualification and ceased to be the Members of the Lok Sabha from 17-7-1992.

(iii) Shri Ajit Singh and three other Members of Parliament claimed in clear terms that on 5-2-1992, they had split from Janata Dal and that they belonged to the faction which was the original Janata Dal. This claim was made by them in the written statements filed by them and also the statements filed by them before the Election Commission.

(iv) Thus, Shri Ajit Singh and other three Members formed a separate Party in terms of para 3(b) of the Tenth Schedule.

(v) On 7-8-1992, 20 Members filed an application before the Speaker, seeking a declaration that they had split and asking for separate seats in the Lok Sabha.

(vi) As Shri Ajit Singh and three other Members had formed a separate Party, they could not be a part of the group of Janata Dal, separate seats in the Lok Sabha.

(vii) Remaining 16 Members could not be a group consisting of 1|3 Members of Janata Dal in Parliament. So, they incurred disqualification.

(viii) The Respondents thus incurred disqualification and ceased to be Members of the Lok Sabha with effect from 7-8-1992 in terms of para 2(1)(a) of the Tenth Schedule for having not acquired the immunity in terms of 3(a)(i) of the same.

25. The Respondents filed their written statements on 4-11-1992.

26. In essence, the stand of the Respondents is that—

(i) The Petitioner should not be allowed to approbate and reprobate.

(ii) They claim immunity under para 3(a)(i) of the Tenth Schedule.

(iii) The faction of Janata Dal to which they belong is the original Janata Dal and as such all the Members of Janata Dal in Parliament belong to their faction unless they claimed otherwise.

(iv) All other contents regarding expulsion and disqualification on the ground of violation of whips by other Members and also other contents are denied.

(v) The Respondents pray that the Petition be dismissed.

HOW THE PROCEEDINGS WERE CONDUCTED ?

27. The application given by the 20 Members and 12 Petitions filed by Shri V. P. Singh and 2 Petitions by Shri Shrikant Jena, have many common points. Therefore, with agreement between the Parties, it was decided that all the Petitions and the application would be heard and decided jointly.

28. The Parties to the dispute were allowed to plead their cases themselves as well as through their lawyers. They filed their pleadings, examined the witnesses and argued on points of law and facts through their lawyers, who did their tasks excellently cordially and justly.

29. Broadly, the Civil Procedure Code was followed in conducting the proceedings.

30. Wherever it could not be followed, the principles of natural justice were followed.

31. The leaders of the political parties in the Lok Sabha were allowed to put forth their views on legal points orally as well as in writing.

32. The proceedings were allowed to be watched and reported by the Press and the media.

33. Documentary and oral evidence was adduced and produced by the Parties.

34. The lawyers of the Parties advanced detailed arguments which continued for about 20 hours.

35. The evidence and the arguments were recorded verbatim. They are available on audio cassettes too.

36. The pleadings, the evidence and the arguments are compiled in the form of paper books.

37. The points at issue were listed and on them evidence was allowed to be produced and arguments were heard.

38. The points at issue were finalised after hearing the Parties. The Parties, however, did not strictly follow the points at issue while arguing the case.

The decision in the subsequent paras gives findings on the issues in a general manner.

ISSUES

ISSUES RELATING TO DOCUMENT D1

(i) Is D1 filed under the Constitution of India, any other Law or the Rules of Procedure of Lok Sabha ?

(ii) What do the signatories claim under D1 ?

(iii) At what time and in what manner the claims under the Tenth Schedule of the Constitution of India are to be proved ?

(iv) Can the Leader of a Political Party expel a Member of his Party and terminate his Membership of the Legislative Party, so as to change his rights, obligations and immunities given under the Constitution of India, other Laws or the Rules of Procedure in Lok Sabha ?

(v) What is the significance of the Members sitting separately at the instance of their Party Leader on their expulsion from their Party ? Does it have any significance for interpreting and enforcing the Tenth Schedule of the Constitution of India ?

(vi) What is the significance of the Members sitting separately at their own instance ? Does it have any significance for interpreting and enforcing the Tenth Schedule of the Constitution of India ?

(vii) What Order ?

ISSUES RELATING TO VIOLATION OF WHIP

(i) Does the Petitioner prove that the Respondent violated the Whip voluntarily and if so, the Respondent ceased to be a Member of Parliament with effect from 17-7-1992 ?

(ii) Does the Respondent prove that he did not voluntarily refrain from voting ?

(iii) What Order ?

ISSUES RELATING TO VOLUNTARILY GIVING UP THE MEMBERSHIP OF THE POLITICAL PARTY

(i) Does the Petitioner prove that the Respondent has become liable to be disqualified under para 2(1)(a) of the Tenth Schedule of the Constitution of India by being a signatory to Document D1 ?

(ii) Does the Respondent prove that the immunity provided by para 3 of the Tenth Schedule is available to him ?

(iii) What Order ?

ISSUES RELATING TO THE CASE OF SHRI AJIT SINGH AND THREE OTHERS

(i) Does the Petitioner prove that Shri Ajit Singh and three others have become liable to be disqualified under para 2(1)(a) of the Tenth Schedule of the Constitution of India, by constituting a separate faction of the Janata Dal Party ?

(ii) Do the Respondents prove that the immunity granted by para 3 of the Tenth Schedule is available to them ?

(iii) What Order ?

ISSUES RELATING TO THE CASE OF SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI AND THREE OTHERS

(i) Does the Petitioner prove that Shri Rajnath Sonkar Shastri and three others have become liable to be disqualified under para 2(1)(a) of the Tenth Schedule of the Constitution of India, by being a signatory to the Document D1 ?

(ii) Do the Respondents prove that the immunity granted by para 3 of the Tenth Schedule is available to them ?

(iii) What Order ?

LAW POINTS

39. By and large, following were the law points which came up for discussion through the course of proceedings.

HOW THE LAW OF ANTI-DEFECTION SHOULD BE INTERPRETED ?

40. The Tenth Schedule of the Constitution of India is treated and popularly known as the law of anti-defection.

41. It is framed to curb and control the menace of crossing of the floor by the elected representatives of the people in Legislatures.

42. Before it came into existence, the legislators could vote as they liked, could leave their parties and could join other parties, without incurrnig any liability or disqualification or losing their membership of the legislature. They enjoyed right to freedom of voting, joining or forming any party. The right was identical with the right enjoyed by other citizens. The same kind of right is enjoyed by the Members in Parliaments in other countries.

43. However, the right was misused and abused. It was used to destabilise and form Governments on principles which were capricious and unethical.

44. Therefore, the present law was framed to contain the menace of defection.

45. It creates obligations and rights for the legislators.

46. It enjoins that the legislator has to vote according to the whip issued to him by his party, has not to leave his party, has not to form any party, has not to join any party. If he violates these obligations, he can be declared as disqualified to be the member of the legislature and lose his membership of the legislature.

47. These obligations are not absolute. They are relaxed by the same law which creates the obligations. The legislator can vote as he likes in violation of the whip issued to him, if 1|3 Members of his Party in the legislature wish to vote alongwith him differently from the direction given by the Party. He can separate from his party and form a new party, without incuring any disqualification, in company of 1|3 Members of his Party in legislature, on a split in his party. He can merge with any other party without incurring any disqualification in company of 2|3 members of his party in the legislature. These rights are given to him because they were available to him, before the Tenth Schedule came into existence as such rights are necessary in democratic and parliamentary systems, because such rights are enjoyed by

the citizens under PART III of the Constitution of India and also because such rights are available to the legislators in Parliaments and legislatures of other countries.

48. Therefore, the provisions of the Tenth Schedule have to be interpreted very meticulously and strictly

49. The interpretation can influence very wide and long range of activities and large number of institutions and individuals. The laws creating rights and obligations for citizens and a class of persons and more so for elected representatives of the people have also to be interpreted very carefully and strictly.

50. That which is not in the Tenth Schedule cannot be introduced in it.

51. The provisions of the Party Constitution cannot be read and introduced in the Tenth Schedule.

52. Some provisions of the Tenth Schedule cannot be interpreted to frustrate other provisions of the same.

53. The provisions of the Tenth Schedule have not to be used in a colourable manner

EXPULSION :

54. The stand of the petitioners was that the leader of the political party could expel the members of the party from their primary membership and if it was done, the members lost their membership of the party in legislature also.

55 They contend that the expulsion could be effected under the provisions of their Party Constitution.

56. They concede that there was no provision in the Tenth Schedule or any other law or rules under which they could expel the members

57. They asserted that the expelled members could not form part of the group intending to separate from the original party to make it equal to a group having 1/3 members of the party in legislature

58. They held that the Speaker did not have any authority to look into the matter of expulsion He could not try to ascertain if the procedure provided in the Party constituion to expel the members was followed or not And yet he was, according to them, expected to discount the Members from the group of members having a right to split from the original party in 1/3 number of members of the party in legislature.

59. They were of the opinion that if that was not allowed to be done they would be unable to keep their Party in tact and discipline their members.

60. They thought that there existed a contractual obligation between the Party members and their party as a whole, which could not be adjudicated upon by courts of law or the Speaker, for that matter

61. They held that the relationship between the Members of a Club and the Club was identical with the relationship between the Members of a Party and the Party.

62 It is difficult to concede the views expressed by the Petitioners on this point in the manner mentioned above.

63. In this respect, Explanation (a) to para 2(1) is relevant :

> "(a) an elected member of a House shall be deemed to belong to the political party, if any, by which he was set up as a candidate for election as such member."

This a constitutional status given to the Member which cannot be taken away from him by expulsion.

64. A Member of the Legislature comes to the House, not only because he was given the ticket by his Party, but because he was elected by the voters also. He is not only obliged to the Party but he is also obliged to the voters.

65 It there is a contract, the contract is not between two Parties It is tripartite contract. A contract between the Member, his Party and the Voters. His obligation to voters is greater than this obligation to his Party

66. His rights and obligations as a Member of his Party may arise out of the Constitution of his Party. Therefore, for party purposes, he is bound by the Party Constitution.

67 His rights and obligations as a Member of the Legislature emanate from the Constitution of India and other relevant laws and rules. For the purpose of his Parliamentary rights and duties, he is bound by the Constitution of India, the Tenth Schedule and other relevant laws His party constitution cannot have an upper hand over the Tenth Schedule or other parts of the Constitution of India or other statutes and rules of procedure made by the Legislature.

68 The Party Constitution cannot add to or reduce from rights and duties given to the Member of the Legislature under the Constitution of India and other relevant laws.

69. The Tenth Schedule is framed to curb and control the menace of floor crossing and is relevant to the activities of the Member as a Parliamentarian, and to his commissions, omissions, and activities in the legislature rather than to his activities as a party member outside the legislature, not connected with parliamentary activities.

70. The Speaker has no right or duty to help the leaders of the parties to keep their parties in order and discipline their members.

71. A legislator may discharge his duties as a Member of his Party. He may do his duties as a Legislator. The Tenth Schedule applies to his duties and rights as the Legislator. It does not apply to his rights and duties as a Party Member.

72. The Party leader may expel his Member from his Party and may not give him his party facilities.

He may not give him ticket in the next election. He may not give him party positions and posts. He may not give him opportunities to attend party meetings. He may not be given opportunities to be Member of Committees or institutions as a Party Member.

73. But, the Party leader cannot deprive the legislator of rights and facilities which can be available to him because of the fact that he is elected and because of the provisions in the Tenth Schedule, the Constitution of India, other relevant laws and rules.

74. The provision in the Party Constitution cannot be read as the provisions and part and parcel of the Tenth Schedule and the Constitution of India.

75. The Constitution of India or the Tenth Schedule have not to be interpreted to suit the Parties and to fit in their constitutions.

76. The Speaker is not to be bound by the Party Constitution. He has to function in accordance with the Tenth Schedule, the Constitution of India and other relevant laws and rules.

77. In the Lok Sabha, there are 23 Parties. They have their own constitutions, which are and can be amended in a manner they like. It is not possible to find out if they are amended as per the procedures laid down for the purpose.

78. The Speaker is not expected to allow them, or be bound by them. If that is done, the result would be very confusing.

79. Therefore, it can be held that as there are no provisions in the Tenth Schedule of the Constitution of India or in any other part of the Constitution of India, or in any other relevant laws or Rules of Procedure followed in the Lok Sabha for the purpose of parliamentary functioning and with respect to his rights and duties as a Member of the Legislature and not for his party rights and duties and functioning, a Member of a Party elected to a Legislature by the voters, under the Constitution of India and other relevant laws cannot be expelled.

80. It is not correct and legal to hold that if a Member of a Party is expelled from its primary membership, he loses his membership of his legislature party.

81. It is not correct and legal to hold that the Party leaders can alter the obligations and rights of the Legislators given to them by the law, by expelling them from their primary membership under their Party constitution.

82. In the past, members were expelled to achieve different objectives.

83. Members of the Legislature should be allowed to be expelled for the purpose of implementing the Tenth Schedule, only if there are provisions for the purpose in the Tenth Schedule and not otherwise.

84. As there are no provisions in the Tenth Schedule or any other part of the Constitution, the expulsion of the Members for parliamentary purposes is not legal and cannot be allowed.

85. The Petitioners realised the legal position correctly and conceded this interpretation of the law.

86. That is why, they have filed petitions against eight members who they claimed were expelled and were not Members of their Legislature Party. By doing so, they have conceded that for parliamentary purposes, the elected members of the legislature cannot be expelled by the Party leaders under their Party constitution.

87. Though a little ambiguously, this position is treated as correct by the petitioners in their petitions filed against the allegedly expelled members of their party.

UNATTACHED :

88. In the past, in some cases, when the Members were expelled, they were called Unattached to distinguish them from the Party Members as well as from the Independent Members.

89. The word Unattached is not used anywhere in the Tenth Schedule or any part of the Constitution of India or any other relevant laws or the Rules of Procedure followed in the Parliament.

90. A Member belonging to a Party has certain rights and obligations under the Tenth Schedule of the Constitution of India.

91. An Independent Member also has certain rights and obligations under the same law

92. But an Unattached Member does not appear to have any particular status or position.

93. As to what kind of obligations he is subjected to or as to what kind of rights he has is not very clear and is very confusing.

94. Therefore, it is correct to hold the word has no particular legal meaning attached to it and does not create any obligations or rights for the Member who is declared as Unattached.

WHEN DOES THE DECISION TAKEN BECOME OPERATIVE :

95. (i) From the date of the decision taken?

(ii) From the date of the Petition filed ?

(iii) Or from the date on which the violation of whip takes place or the Party is split or the other Party is joined by the Members ?

96. The general rule is that the laws made are procedure.

97 If they are interded to be retrospective, that has to be made clear in specific terms in the laws themselves.

98. When two interpretations can be put on the laws, one giving them prospective character and the second giving them the retrospective character, the interpretation which gives them prospective character has to be accepted.

99. The retrospective nature of law may hurt innocent persons. Hence, making laws retrospective or interpreting them in such a manner that they become retrospective should be tried to be avoided.

100. The Tenth Schedule of the Constitution of India is prospective and not retrospective in nature.

101. The provision in the Tenth Schedule are such that they cannot be interpreted to make them retrospective or the decisions given under them, retrosactive.

102. It provides that the Speaker can declare a Member disqualified, if a petition is filed before him for that purpose. He cannot make the declaration without a petition having been filed before him by any Member.

103. The Leader of the Party is expected to give a No ice to an erring Member and ask him as to why a Petition should not be filed against him.

104. If the Member gives a satisfactory reply to his leader, he may condone his lapse in which case no petition can be filed against the erring Member.

105. If a Member is liable to be disqualified and if he joins a Group of Members who are oblivious of the liability of the Member and other Members take a step to separate from their original Party with a belief that they are a group of requisite number of Members and the Member under the liability loses his Membership later on and if the decision given is made retroactive, injustice would be caused to other Members. This kind of situation is expected to be avoided.

106. It is for these reasons, it can justly be held that the Tenth Schedule of the Constitution of India is not of retrospective character and the decisions given under its provisions need not be retroactive or retrospective.

107. In their petitions filed on 11-8-1992 against Shri Ram Sundar Das and three others, the Petitioners pray that the Respondents be declared as disqualified and that they cease to be Members of the Lok Sabha from 17-7-1992, the date on which they violated the whips.

108. The petitioners want the decision to be retroactive.

109. In other petitions also, the prayers are to make the decisions retroactive.

110. All the decisions taken under the Tenth Schedule on the Petitions, shall be operative from the date of the decision and not retrospectively.

PAS THE SPEAKER ANY AUTHORITY TO ADJUDICATE IN THE MATTERS RELATING TO THE PARTY ACTIVITIES AND THEIR LEADERS' DECISIONS OUTSIDE THE PARLIAMENT ?

111. The Tenth Schedule is meant to curb and control the floor crossing by the Legislators.

112. It applies to the Parliamentary activities of the Legislators.

113. If a Legislator violates a whip issued to him, if he leaves his party voluntarily, if he forms a new party or if he joins another party, he is punished under the Tenth Schedule, he is disqualified to be the Member of his Legislature.

114. To punish him, the Speaker can go into the details to ascertain if the whip was voluntarily violated, if the Member left his Party or joined another Party etc.

115. If a Member does not abide by the whip issued to him, in a company of 1|3 Members of his Party in Parliamen , or if he leaves the Party in a company of 1|3 Members in his Parliamentary Party or if he joins another Party in a group of 2/3 Members of his Party in Parliament, under paragraph 3 or paragraph 4 of the Tenth Schedule, he would not be punished and subjected to disqualification of his membership of the Legislature.

116 The Speaker can decide if the group consisted of 1/3 or 2/3 Members of the Party of the Legislator in the Legislature and declare if he is or is not disqualified.

117. He has to decide if the Party had issued the whip, whether it was violated voluntarily.

118. He has to decide if the political party had split outside the Legislature.

119. He cannot decide if the political party claiming to be original party is having majority support or not.

120. That can be done by the Election Commission.

121. It is not necessary for him to count the number of Members going with one faction of the other outside the Parliament.

122. It is not necessary for him to find out as to how many Members of Parliament were with one faction or the other, outside the Parliament.

123. He can take cognisance of the fact of split in the Party in the Parliament.

124. But that can be done by him, when it is brought to his notice through a Petition by a Member in the Parliament.

125. In these matters, he does not act suo moto. The leader of the Party is allowed to condone the acts of their party members in the Parliament.

126. The Speaker has to find out if the group separating from the original Parliamentary Party consisted of 1/3 Members of the Party in Parliament or not.

127. He has to find out if the group joining any other Parliamentary Party has 2/3 Members of his Party in Parliament or not.

128. It is not necessary for him to find out if the political party splitting outside the Parliament has 1/3 Members of the Party in the Parliament or not.

129. It is difficult for him to find out on what ideological differences the Party is split.

130. The fact of split is more relevant for him to implement the Tenth Schedule.

131. The jurisdiction of the Speaker is more pronounced with respect to the activities of the Parliamentarians in the Parliament.

132. It is least effective with respect to the activities of the Parliamentarians outside the Parliament.

133. The Tenth Schedule is not meant to control, guide and direct the activities of the political parties and their members and to punish the Parliamentarians for their commissions and omissions outside the Parliament.

134. The Speaker is not expected to dabble in keeping the political parties weak or strong or discipline the Parliamentarians for their party purposes.

135. In party matters relating to the Parliamentarians outside the Parliament, jurisdiction is available to the forums presided over by other authorities and not by the Speaker.

REASONS ON WHICH THE DECISIONS BASE

DOCUMENT MARKED D1

Document "D1"

136. The application filed by 20 Members of the Lok Sabha on 7-8-1992 seeking separate seats for them to sit in the House cannot be treated as application under the Tenth Schedule of the Constitution of India.

137. It can at best be treated as a piece of evidence which could be used in the petitions filed under the Tenth Schedule.

138. The fact of split of a political party outside the Parliament and inside the Parliament by requisite number of Members cannot be used to obtain a declaration from the Speaker that the Party is correctly and legally split.

139. The same fact can be used as a defence in a petition filed against the members splitting the Party, to show that the group separaing from the Party in Parliament consisted of 1|3 Members of the Party in Parliament.

140. The application can be considered under Rule 4 of the Rules of Procedure of the Lok Sabha which reads as follows :

> "4. The Members shall sit in such order as the Speaker may determine."

141. On the day on which the application was given i.e. 7-8-1992, all the signatories to the document were sitting Members of the Parliament belonging to the Janata Dal Parliamentary Party.

142. The plea that Shri Ajit Singh and 3 other Parliamentarians and also 4 other Parliamentarians were expelled from their primary membership of the party by the President of the Party on the dates which preceded the date on which the application was made and hence on that date i.e. 7-8-1992, they were not the Members of the Janata Dal Party in Parliament and they could not be valid Members of the Group separating from the Janata Dal Party in Parliament, cannot be accepted.

143. Parliamentarians cannot be legally and validly expelled by their party leaders from their primary membership of the party to annual their membership of the Parliamentary Party, to defeat the provisions of the Tenth Schedule of the Constitution.

144. There are no provisions in the law which envisage that kind of expulsion of the Members of Parliament.

145. Expulsions of the Parliamentarians from their primary membership of the party to cancel their membership of the Parliamentary Party under the party constitution is not valid and acceptable.

146. If that is allowed to be done, the purpose of the provisions in the Tenth Schedule would be frustrated. That would amount to introducing something in the fundamental law of the country from a Party Constitution which can be changed at any time.

147. For the reasons given in other parts of the decision also, it is held that S|Shri Ajit Singh, Rashid Masood, Harpal Panwar, Satyapal Singh Yadav, Rajnath Sonkar Shastri, Ramnihore Rai, Ram Awadh and Shiv Sharan Verma were Members of Parliament, belonging to the Janata Dal on the relevant date i.e. 7-8-1992.

148. On that date i.e. 7-8-1992, petitions were not filed against them seeking for declaration that they were disqualified and had lost their membership of the Parliament

149. In the written reply to the application filed by the opposite side, it is stated that Shri Ram Sundar Das and three other Parliamentarians had violated the directions given to them to vote in favour of the No Confidence Motion submitted against the Government and that the four Parliamentarians had incurred liability of disqualification for being Members of the Lok Sabha with effect from 17-7-1992. And so, they could not form part of the group validly to bring the number of Members to the requisite level.

150. On 7-8-1992, there were no petitions filed and pending against them complaining that they violated the whips and seeking a declaration of their disqualification for being the Member of the Lok Sabha.

151. On 7-8-1992, they were the validly sitting Members of the Lok Sabha belonging to the Janata Dal Party.

152. In other parts of the decision, it is held that the decisions given in these matters cannot be of retroactive or retrospective character.

153. Hence it can be held that they could legally and validly be the Members of the Group seeking separation from the original party.

154. Against S|Shri Ram Sharan Yadav, Abhay Pratap Singh, Ramlakhan Singh Yadav, Anadi Charan Das, Roshan Lal, Arjun Singh Yadav, Upendranath Verma and Suryanarayan Yadav, petitions were filed seeking their disqualification on 22-8-1992.

155. However, on the relevant date, i.e. 7-8-1992, there were no petitions filed against them.

156. On the relevant date, they were the sitting Members of the Janata Dal Parliamentary Party.

157. On the relevant date, i.e. 7-8-1992, all the signatories to the application were sitting Members of the Janata Dal in Parliament.

158. Their number was equal to 20 which is more than one third of 59, which is the number of Members of Janata Dal in the Lok Sabha on the relevant date.

159. The signatories to the application in a way indicated that there was a split in the Janata Dal. outside the Parliament.

160. The application in a way indicated that there was a split in the Parliamentary Party of Janata Dal in Lok Sabha.

161. Although the averments to these effects were made lukewarmly and a little less lucidly, all the other facts and averments made in the subsequent pleadings by both the Parties go to point out that there was a split in the Janata Dal outside as well as inside the Parliament, which had taken place before and on the relevant date respectively.

162. Therefore, the application can be and is allowed to grant their prayer that they be allowed to sit separately.

PETITIONS RELATING TO VIOLATION OF WHIPS AGAINST SHRI RAM SUNDAR DAS AND THREE OTHERS

PETITION AGAINST SHRI RAM SUNDAR DAS:

163. Most of the averments of the Petitioner in the Petition are not denied and are accepted by the Respondent.

164. Only point on which the Respondent takes a different stand relates to his abstention from voting.

165. The Petitioner avers that the Respondent voluntarily violated the whip. The Respondent asserts that he did not abstain from voting voluntarily.

166. The respondent says that on 17-7-1992, he was unwell, suffering from variable Blood Pressure and in the afternoon was resting in the Library.

167. According to him, when the division bell rang, he tried to rush to reach the Lok Sabha Chamber but because of his weak health and injury to his leg. he could not arrive at the door before it was closed and so he could not enter the House and vote in favour of the No Confidence Motion, although he wanted to do so, very much.

168. The Respondent examined himself only to prove his assertions.

169. He did not file any other evidence of any kind on any of the points connected with his stand.

170. The distance between the Library and the Lok Sabha Chamber is easily converable, even by a slow walker, unless the person covering the distance purposely slows down or neglects to cover the distance by talking to the persons in the Central Hall or enroute.

171. The Respondent could have rested in the Lok Sabha, in the manner he could have rested in the Library, for the Library is not place meant for resting and with facilities really to rest in a proper manner.

172. The Respondent should have understood the contingency in which he finds himself and should have remained in the House to vote on the Motion.

173. The plea taken by him is not convincing and acceptable.

174. It is therefore, concluded that his act of abstention from voting was not involuntary.

175. The Respondent has become liable to disqualification in terms of para 2 (1)(b) of the Tenth Schedule of the Constitution of India and ceases to be the Member of the Lok Sabha from the date of this decision.

PETITION AGAINST SHRI GOVIND CHANDRA MUNDA

176. The only point in dispute in this Petition also relates to the abstention from voting by the Respondent on the No Confidence Motion against the Government on 17-7-1992.

177. According to the Respondent, he wanted to vote on the Motion and was in the Parliament House in the morning of the said date.

178. In the evening, he felt unwell because of the cervical spondilitis and other reasons also and so he went to his house to take medicine and rest.

179. At his house, he took some herbal medicine which made him unconscious. So he could not go to the Parliament and vote on the Motion.

180. He says he had also informed the Leader of his Party to take him to the Lok Sabha, in Ambulance with the consent of the Doctor, if it was necessary for him to attend the House. But nothing in that respect was done.

181. The Respondent examined himself and other witnesses in support of his stand. They were cross examined by the lawyer of the Petitioner.

182. He produced some documentary evidence also to prove his plea.

183. The stand of the Respondent is not convincing and acceptable.

184. The evidence given by him is contradictory and not acceptable.

185. The evidence given by his witness is also not convincing and acceptable.

186. There are contradictions between his documentary and the oral evidence.

187. There are contradictions in the evidence given by him and his witnesses.

188. Illness which he suffered from was not such that he could not have gone to the Lok Sabha Chamber to vote.

189. If he had really wanted to vote, he could have organised to be in the Lok Sabha, just at the time of voting and then retired to his house for rest or to the Doctor for medical assistance.

190. His plea that he had asked the Leader of the Party to take him to the House in a vehicle with the permission of the Doctor, if his presence in the House was a must, is not acceptable. He could have gone to the Lok Sabha Chamber on his own, without asking his Leader to take him there. His asking the Leader to take him to the House appears to be an attempt to shift the responsibility to some one else for his default.

191. As a responsible Member of the House, he could have remained present in the House and voted.

192. The fact that he went to his village in Orissa next day itself goes to show that he was not in a very bad shape on the relevant date.

193. The plea that he had asked his Party leader to take him to the House, if need be, appears to be device invented to overcome the difficulties arising out of his absence, in consultation with another Member.

194. The demeanour of the witness suggested that they were making artificial statements.

195. In view of the unconvincing pleas adopted, evidence given and arguments advanced, it is difficult to hold that the Respondent did not vote involuntarily because of the circumstances beyond his control.

196. It is, therefore, held that he abstained from voting voluntarily and has become liable to be disqualified for being the Member of the Lok Sabha with effect from the date of this decision.

PETITION AGAINST SHRI GHULAM MOHAMMED KHAN

197. In this petition also, the point in dispute is identical to that in dispute in other three cases.

198. The Respondent pleads that on 17-7-1992, he was not well and was in Ram Manohar Lohia Hospital and suffering from diabetes and other ailments.

199. He says that he had informed the Leader of his Party that if his presence in the House was essential he should be taken there with the consent of the Doctor.

200. He states that he intended to vote on the Motion, but he could not do so because of conditions beyond his control.

201. He examined himself and other two witnesses to prove his stand. He and other witnesses were cross-examined by the Lawyer of the Respondent.

202. He produced some documents to support his plea.

203. He came back to his house on 17-7-1992. This fact contributes towards strengthening the belief that he was not in a very bad shape on 17-7-1992.

204. His stand that the leader of the Party should take him to the House, with the consent of the Doctor, is the kind of stand taken by Shri Govind Chandra Munda, a Respondent in the other Petition.

205. It is not convincing and acceptable. What he is asking his leader to do, he could have done himself.

206. It appears to be a part of the attempt to shift the responsibility from himself to someone else.

207. As a responsible Member of the House he should have taken care to be present in the House to vote.

208. As he was in New Delhi, it could not have been difficult for him to attend to duties of voting in the House.

209. The evidence given by him is not convincing.

210. The evidence given by other witnesses also does not evoke great confidence. Their approach appears to be casual and not convincing.

211. There are some contradictions between his oral and documentary evidence.

212. There are some contradictions in the evidence given by him and his witnesses.

213. In view of these facts, the plea adopted by the Respondent that his abstention from voting was involuntary cannot be accepted.

214. Therefore, it is held that he has become disqualified to be the Member of the Parliament with effect from the date of this decision.

PETITION AGAINST SHRI RAM SHARAN

215. The Respondent pleads that on 17-7-1992, he was in the Lok Sabha and he did press the Button to vote in favour of the Motion and that because of the defect in the machine, his vote was not recorded.

216. He says he asked the attendant in the House if his vote was recorded on the Board or not. According to him, the attendant informed him, that it was recorded.

217. He says that his eye sight is weak and so he could not see the Board properly to find out if the vote was really recorded or not.

218. His plea is that he intended to vote but by accident he could not vote.

219. He examined himself to support his plea.

220. He did not examine the attendant in the House as his witness to corroborate his evidence on his plea.

221. The plea of the Respondent is not convincing and acceptable.

222. The evidence produced by him is not convincing.

223. And so, it is not possible to hold that his abstention from voting was involuntary.

224. It is, therefore, concluded that the Respondent has incurred the liability of disqualification for being the Member of the Lok Sabha with effect from the date of this decision.

PETITION AGAINST SHRI RAM SHARAN YADAV AND SEVEN OTHERS

EIGHT PETITIONS:

225. On 22-8-1992, Shri V. P. Singh filed Petitions against S/Shri Ram Sharan Yadav, Abhay Pratap Singh, Ramlakhan Singh Yadav, Anadi Charan Das, Roshan Lal, Arjun Singh Yadav, Upendranath Verma and Suryanarayan Yadav, all Members of the Lok Sabha in terms of para 2(1)(a) of the Tenth Schedule of the Constitution of India.

226. The contents of all the petitions are identical. So, they are dealt with jointly.

227. In essence, the petitioner's stand is as follows:

(i) The Respondent did not claim that there was a split in the Janata Dal Political Party on or before 7-8-1992 and that he belonged to one of the factions.

(ii) Para 3(a)(i) of the Tenth Schedule contemplates a split in the political party prior to the split in the party in the Parliament, which is not shown to have taken place.

(iii) Shri Ajit Singh and seven other Parliamentarians were expelled from the Party's primary membership on three dates which preceded the relevant date, i.e. 7-8-1992. So, they had ceased to be Members of the Janata Dal in Parliament on the dates of their expulsions.

(iv) Shri Ram Sundar Das and three other Parliamentarians had violated the whips issued to them on 17-7-1992. So, they had become liable to be disqualified to be Members of the Lok Sabha with effect from the date on which the whips were violated.

(v) Thus, the Respondents could not form a group consisting of 1/3 Members of Janata Dal in the Parliament as the Members expelled and the Members disqualified could not form part of the group on 7-8-1992.

(vi) For these reasons, the Respondents had incurred the liability of disqualification for being the Members of the Lok Sabha with effect from 7-8-1992.

(vii) The three groups—one consisting of the expelled Members, the second consisting of the Members who had lost their membership of the Parliament for having violated the whips and the third consisting of the Respondents could not come together to form a group to claim the benefit under para 3(a)(i) of the Tenth Schedule of the Constitution of India.

(viii) According to the Petitioner, Members who were expelled from the primary membership of their party, by the Party President, lost their membership of the Parliamentary Party from the day of their expulsion.

(ix) The above position was accepted by the former Speaker who had treated the expelled Members as Unattached Members.

(x) The President of Janata Dal expelled their Party Members in the Parliament on different dates, having gaps of many days between the days on which they were expelled for anti-party activities.

(xi) Other Members continued to be Members of the Janata Dal in the Parliament. In fact, some of them participated in the party elections.

(xii) The Respondents contend that no split in Janata Dal Political Party did take place before or after the eight Members were expelled by the President of the Party.

(xiii) They say that to claim the immunity under para 3(a)(i) of the Tenth Schedule, there should be a split in the political party and there should also be a split afterwards in the Parliamentary Party. Without there being two splits, the Members could not enjoy the immunity under para 3(a)(i) of the Tenth Schedule.

(xiv) They contend that Shri Ajit Singh did not claim a split in the political party in the pleadings in the Court and also before the Election Commission. His stand was that he was the President of the original Janata Dal.

(xv) The anti defection law contemplates that there would be a political party and a legislature party.

(xvi) A split in the Political Party could not be caused by a few Members in the Parliament. It has to be caused by a large number of Members of the Party.

(xvii) Therefore, it could not be held that there was a split in the political party of Janata Dal as required by the Law

(xviii) The conduct of the Respondents in making the application to the Speaker on 7-8-1992 asking for separate seats in the Parliament amounted to giving up the Party as contemplated in para 2(1)(b) of the Tenth Schedule of the Constitution of India.

(xix) The prayer by the Petitioner is that the Respondents be declared to have become subject to disqualification and to have ceased to be Members of the Lok Sabha from 7-8-1992.

228. The Respondents filed their written statement on 31-8-1992.

In substance it states that—

(i) The points raised by the Petitioner were replied to in the pleadings filed by them in other cases.

(ii) The Respondents claim that they were the Members of the original Janata Dal and that their claim would be proved in other forums.

(iii) They say that on 7-8-1992, the Parliamentary Party had split, and the group which split consisted of Members equal to 1/3 Members of Janata Dal Parliamentary Party.

229. The claims made by the Petitioners in this case and Petitioners in other cases filed against Shri Ajit Singh and three other Parliamentarians and Shri Rajnath Sonkar Shastri and three others and those made by the Respondents in these petitions and the Respondents in other Petitions are quite confusing and contradictory.

230. In spite of the contradiction in claims made by both sides, there is so much material in their pleadings, evidence and arguments to hold that Janata Dal Political Party had split before 7-8-1992. The material is also contained in the submissions made by the Parties in the Court of Law and also before the Election Commission. Therefore, the Respondents can claim the immunity provided in para 3(a) (i) of the Tenth Schedule.

231. It is already held that the President of the Janata Dal could not expel Shri Ajit Singh and three others from the Parliamentary Party of Janata Dal and could not abridge their rights and duties. They continued to be Members of the Parliamentary Party of Janata Dal.

232. It is also held that Shri Ram Sundar Das and three others were valid Members of the Parliamentary Party of Janata Dal and the Lok Sabha on 7-8-1992. So, they could form part of the group on that date, separating from Janata Dal Parliamentary Party.

233. There is, therefore, no difficulty in holding that Shri Ajit Singh and seven other Parliamentarians, Shri Ram Sundar Das and three other Parliamentarians and the Respondents could form a group consisting of 1/3 Members of Janata Dal in Parliament and could separate from other Members of the Janata Dal Parliamentary Party without becoming liable to be disqualified.

234. The stand of the Petitioner that the expelled Members of the Party lost their membership of the Parliamentary Party is not valid, legal and correct. The reasons why it is not correct are given in the previous paras.

235. The reference to the stand taken in the past to the word "Unattached" is also made in the previous paras. What is suggested by the Petitioner in that respect is not correct and valid.

236. Therefore, it is not possible to hold that the Respondents had become disqualified to be Members of the Lok Sabha in terms of para 2(1)(b) of the Tenth Schedule of the Constitution of India.

237. Therefore, the Petitions are dismissed.

PETITION UNDER RULE 2(1)(a) AGAINST SHRI AJIT SINGH AND THREE OTHERS

PETITION AGAINST SHRI AJIT SINGH AND 3 OTHERS

238. On 3-10-1992, Shri Srikant Jena, the Chief Whip of Janata Dal Parliamentary Party, filed a composite petition against S/Shri Ajit Singh, Rashid Masood, Harpal Panwar and Satyapal Singh Yadav in terms of para 2(1)(a) of the Tenth Schedule of the Constitution of India.

239. This petition is not filed by Shri V.P. Singh who was the Leader of the Janata Dal Parliamentary Party.

240. The Petitioner repeats that the Respondents were expelled from their primary membership of Janata Dal by the President of the Party, that other four Members were also expelled for their anti-party activities, and that four other parliamentarians had become disqualified to be Members of the Lok Sabha for having violated the whips issued to them.

241. The Petitioner states that on 7-8-1992, the Respondents and other four expelled Members and other four Members who had become liable to be disqualified and other eight members made an application to the Speaker seeking separate seats for them in the Lok Sabha.

242. He says that Shri Ajit Singh had in very clear terms claimed that on 5-2-1992, Janata Dal had split and he was endorsed as the President of the original Janata Dal.

243. Para 7 of the Peition is very relevant and reads as follows :

"7. That explusion of a Member of the Parliament by the Party he belongs to does not result in the forfeiture of his Membership of the House, because para 2(1)(c) of the Tenth Schedule which originally was included in the draft legislation was deleted from the Amendment Bill. Petitioner, therefore, did not file a Petition against the Respondents herein for seeking their disqualification from the House immediately after the expulsions orders were passed against him".

244. The Petitioner says that on 5-2-1992, the only four Members formed part of a faction that had arisen as a result of the split.

245. According to him, his act of becoming the President of a faction of the Janata Dal, in the company of only three Members of the Janata Dal Parliamentary Party amounted to giving up his Party. As the four Members were not equal to 1/3 Members of the Janata Dal in Parliament, they became liable to be disqualified to be Members of the Lok Sabha from 5-2-1992.

246. Para 13 of the Petition reads as follows

> "13. That the question as to whether the expulsion of the Respondents herein was valid or invalid need not, therefore, be pursued in view of the admission of the Respondents quoted above as a result of which they have incurred the disqualification."

247. It is prayed that the Respondents may be declared as disqualified from being Members of the Lok Sabha with effect from 5-2-1992.

248. The stand of the Petitioner in this Petition is quite contrary to the stand of Shri V.P. Singh in other petitions.

249. The Petitioner treats the Respondents as Members of his Parliamentary Party even on the date of filing his petition i.e. 3-10-1992, and gives up the stand under which his Par y used to treat the Respondents and four other Members of his Parliamentary Party as Unattached and not belonging to his Party in the Parliament.

250. The stands contradict each other.

251. The Respondents filed their written statement on 4-11-1992.

252. In essence the stand taken by the Respondents is as follows:

> The Respondents repeat what they had said in other Petitions on the points expulsion of eight Members, disqualification of four Members on the ground of violation of the whips and disqualification of eight Members on the ground of having given up their party.

253. They state that they are the Members of the original Janata Dal and as such all others are the Members of the Janata Dal, excepting those who speciafically deny to be so.

254. Most other points are denied by them.

255. There is ample evidence in the record to show that there had taken place a split in Janata Dal before 7-8-1992.

256. The Tenth Schedule relates to split in the Parliamentary Party and not the political party outside the Parliament. The law proposes to protect the Parliamentary Party, having elected Members and does not protect the political part outside the House. It is meant to curb defection. It is not meant to protect political parties outside the Parliament.

The Respondents, therefore cannot be declared to have become disqualified on the ground of having left their Party in insufficient numbers on 5-2-1992.

257. Therefore, the Petition deserves to be and is dismissed.

PETITION UNDER PARA 2(1)(a) OF TENTH SCHEDULE AGAINST SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI AND THREE OTHERS

PETITION AGAINST SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI AND THREE OTHERS

258. On 3-10-1992, Shri Srikant Jena, the Chief whip of Janata Dal Party in Parliament, filed a composite petition against S|Shri Rajnath Sonkar Shastri, Ramnihore Rai, Ram Awadh and Shiv Sharan Verma, in terms of para 2(1)(a) of the Tenth Schedule of the Constitu ion of India.

259. Out of 14 petitions, 12 are filed by Snri V.P. Singh, Leader of the Janta Dal in Parliament and 2 are filled by Shri Srikant Jena, the Chief Whip of Janata Dal in Parliament.

260. Shri V. P. Singh, contends in almost all the petitions that Shri Ajit Singh and three others were expelled from the primary membership of the Party and so they had lost their membership of the Janata Dal Parliamentary Party and so, they could not form part of the group separating from Janata Dal headed by Shri Bommai as its President to make up the requisite number so that the separating Members do not get disqualified.

261. Shri Srikant Jena contends in this petition and in the petition filed against Shri Ajit Singh and three others that Shri Ajit Singh and three others had in clear terms admitted that on 5-2-1992, they had split from the party headed by Shri Bommai and that a new Party was formed by them on 5-2-1992.

262. If the new Party was formed and if Shri Ajit Singh and three others became the Members of the new Party, they could not join the group on 7-8-1992 to separate from the Parliamentary Party in requisite numbers.

263. Thus, on 7-8-1992, the other remaining Members were only 16 and they could not form a group having the requisite number and hence the Respondents in this petition who were the signatories to the application given to the Speaker on 7-8-1992 could become disqualified for having given up their Party in insufficient numbers.

264. The stand taken by Shri V. P. Singh is contrary to the stand taken by Shri Srikant Jena

265. The Petitioner asks that the respondent should take a fixed stand and they should not approbate and reprobate. However, the Petitioners themselves appear to be approbating and reprobating.

266. The faction of Janata Dal headed by Shri S.R. Bommai, appears to have given up the stand that the Members of Parliament can be expelled from the Parliamentary Party.

267. The Respondents filed their written statement on 4-11-1992.

268 Through the written statement they say that Shri Ajit Singh and seven others could not be legally expelled from the Janata Dal Parliamentary Party, that Shri Ram Sundar Das and three others could not be disqualified on the ground that they had violated the whips issued to them.

269 They say that Shri Ajit Singh and three others belonged to the original Janata Dal and as such all other Members of Janata Dal Parliamentary Party belonged to their faction, unless any of them declared specially otherwise.

270 It is already held that the President of the Janata Dal could not expel Shri Ajit Singh and three others from the Parliamentary Party of Janata Dal and could not abridge their rights and duties. They continued to be Members of the Parliamentary Party of Janata Dal.

271. It is also held that Shri Ram Sundar Das and three others were valid Members of the Parliamentary Party of Janata Dal and the Lok Sabha on 7-8-1992. So, they could form part of the group on that date, separating from Janata Dal Parliamentary Party

272 There is, therefore, no difficulty in holding that Shri Rajnath Sonkar Shastri and three other Parliamentarians and the sixteen other Respondents could form a group consisting of 1/3 Members of Janata Dal in Parliament and could separate from other Members of the Janata Dal Parliamentary Party without becoming liable to be disqualified.

273 The stand of the Petitioner that the expelled Members of the Party lost their membership of the Parliamentary Party is not valid, legal and correct The reasons why it is not correct are given in the previous paras

274 Therefore, it is not possible to hold that the Respondents had become disqualified to be Members of the Lok Sabha in terms of para 2(1)(a) of the Tenth Schedule of the Constitution of India.

275 Therefore, when the said application was given to the Speaker, the Members signing it, were in requisite numbers and so the Respondents in the present petition cannot be held to have become subject to disqualification on the ground of having separated from their party in insufficient numbers.

276 Therefore, it is held that the Petition deserves to be and is dismissed.

SOME THOUGHTS ON THE CASE AND THE LAW

How Important, how complicated and how agonising are the matters in this case ? Moral, Legal, Political aspects of it.

277. This matter is important and complicated. It has been a little agonising also.

278 It is important because it has implications for the Democracy and Parliamentary system in India

279 It is complicated because it involves interpretation of The Tenth Schedule of the Constitution of India and the freedoms, rights and obligations enjoyed by the Indian citizens and their representatives in the Parliament

280 The Tenth Schedule is a new law There are not many precedents available on the basis of which it can be interpreted and enforced It is not happily worded nor free from lacunae.

281 The totality of the matter consists of one application and fourteen petitions Some pleadings in the petitions and applications have been contradictory and casual too.

282 The Parties to the matter are not expected to be clear on the law points involved in it. Their approach has been political rather than legal.

283 It has been agonising because, at times, words were used by the Parties which could hurt However, it has been ultimately dealt with in a responsible manner by all concerned The lawyers appearing in the case have been able to shed light and bring restraint and logic to bear on the proceedings.

284 The matter has moral, legal and political ingredients, according to some

285. It is not easy to pass judgments in matters moral Those who have to deal with matters on the basis of law have restricted scope to apply the principles of morality while deciding the issues. There may occur contradictions between the stands moral and the stands legal, taken by the Parties In such cases, as per the rule of law, the stands legal get the upper hand Those who have to decide have to do their best to keep the principles of morality in their minds while giving judgments on the basis of law

286 The matters of this nature have to be decided on the basis of law The present matter is tried to be decided on the basis of law It is easier to judge on the basis of law But it can become difficult to, if the law is not clear or correct interpretation is not put on it

287 Matters and ingredients, political, are often both not straight forward and are difficult They can solve, create and complicate issues and problems. They can prove laudatory or abusive, soothing or agonising.

288 In such cases, the chances of political ingredients manifesting agonising characteristics may or may not be limited One can only and sincerely hope that their play may be limited and dignified

289 The present case involves the membership of 20 Parliamentarians who are the representatives of more than two crores of Indian citizens They are elected by the People In a Democracy, the verdict of the People has its own value.

290. Yet, the Representatives of the People are expected to come up to the expectations of the laws. The menance of floor crossing is not easy to handle. If it remains uncontrolled, it can destroy the parliamentary and democratic systems.

291. Therefore, actions are not taken in an ebulient and impulsive manner. But actions are taken to do justice. Those who are found to go against the law are subjected to punishment.

292. To judge is not easy.

293. To do justice, according to one's own light, is the only way available to one who has to decide and judge. That is tried to be done in this case.

SOME SUGGESTIONS ON THE LAW

THE TENTH SCHEDULE

294. The Tenth Schedule of the Constitution of India has served a great extent the purpose for which it has been brought into existence. It has some weak points and defects too. They are now thrown up and have become quite visible. They should not be allowed to continued in the body of the law.

DEFINITIONS

295. It uses some words and phrases which are not defined. They should be properly defined to make the concepts contained in them more lucid and clear.

SITUATIONS ENVISAGED

296. The law does not provide for coping up with the situations that arise in dealing with matters relating to defections. It should be made more comprehensive and should provide for possible situations which can crop up in interpreting and enforcing the law.

Party activities outside the Legislature:

297. The law deals with defections in the Legislature. The defections in the Legislature are connected with the activities of political parties. The activities of the Members of the Parliamentary Party are governed by the Tenth Schedule, other provisions of the Constitution, other relevant laws and the Rules of Procedure followed by the Legislature.

298. The activities of the political parties outside the Legislature are not conducted according to the legal provisions for there are no laws available for the purpose. It is not easy or desirable to put them under rigid laws. The poli ical parties should have freedom to conduct their activities as they like. But to control defections in the legislature, at times, it becomes necessary to have the activities of the political parties conducted in a predictable manner.

299. As to how it can be done should be examined. The Tenth Schedule can be made more comprehensive to cover some of the activities of the political parties to make it more effective. Or some other legislation can be agreed upon and passed by all concerned to make the political party's activities, more predictable.

WHO SHOULD DECIDE

300. At present, the Speakers and Chairman decide the anti-defection law cases.

301. Originally, their decisions were supposed to be final. Now, they are subject to the review by the judiciary. The provision in the law making the decisions final and non reviewable by the judiciary has been struck down on the ground that it was not ratified by the requisite number of State Legislatures as it involved the ouster of the jurisdiction of the judiciary.

302. If it is decided to give finally to the decision given by the Speaker or the Chairman, the provision which was struck down, can be restored by taking recourse a procedure necessary in this respect.

303. Even then, the judiciary may claim inherent jurisdiction to review the decisions.

304. But, the inherent jurisdiction in the light of the provision in the law giving finality to the decision of the Speaker, or the Chairman, may be used in very rare and exceptional cases which is different from allowing review in a frequent and regular manner.

305. Or we can amend the law and provide that the anti-defection law cases can be decided by a Supreme Court Judge or two Judges, if the cases related to the Parliament and by a High Court Judge or two Judges if the cases related to the State Legislatures.

306. The advantages in giving these cases to the Judiciary to decide are many.

307. The Judges are better equipped to decide legal matters. Anti Defection law cases have to be decided strictly according to the law. The Speaker or the Chairman may or may not be endowed with legal acumen and proficiency in law. He is certainly not going to be equal in this respect to the Judge of the Supreme Court or a High Court, whose main task is to hear legal matters and to decide them as per the law.

308. When the anti-defection law cases are heard by the Speaker or the Chairman, the Parties to the dispute appear before them and conduct the cases. They may or may not be fully acquainted with the procedures and principles of interpretation of facts and law. So, they can be of limited help in deciding these kinds of matters.

309. In a Court of Law, Lawyers can plead and conduct the cases, which is bound to help in disposing of the cases, in a better manner. The lawyers do appear before the Speaker or the Chairman as is done in the present case. But, allowing them to appear before the Speaker or the Chairman is different from allowing them to appear before a Judge of the Supreme Court or a Judge of the High Court.

310. When the matters are conducted in front of the Speaker or the Chairman, the pleadings made, arguments advanced tend to be political rather than legal.

311. The Tenth Schedule is a part of the Constitution of India. The responsibility to interpret the Constitution of India is that of the Supreme Court or

the High Courts. It is, therefore, more apt to have the cases involving the interpretation of the Tenth Schedule decided by the Supreme Court or High Court Judges.

312. The Presiding Officers in the Legislatures in our country have considered this matter. They have their own views. They can again consider these matters and come to a final conclusion.

313. This aspect has been discussed in many other forums also. It should now be finally considered and decided as expeditiously as is possible.

THE WHIP :

314. All citizens of India can vote as they like. But, the Elected Representatives of the People have to vote as per the directions given to them by their party leaders.

315. This provision was introduced to control floor crossing. It may be necessary to have it in the law of anti-defection.

316. But is it necessary to ask the representatives of the People to vote in a particular manner in all cases ?

317. When a Motion of No-Confidence against the Government is discussed or when matters mentioned in the Manifesto are discussed, or some other very important matters are discussed, the Members of the Political Parties may be asked to take particular stands and directed to vote in a particular manner.

318. A list of matters in which votings can be directed to be done in a particular manner can be made a part of the law and can be followed by the Parties and their Members. On subjects mentioned in such matters, voting can be directed to be done in a particular manner.

319. In all other matters, it need not be directed to be done in a particular manner.

320. If provision of this nature are introduced in the Tenth Schedule, the anti defection law would achieve the purpose for which it is made and make the principles mentioned in the Chapter of Fundamental Rights and the Principles followed in Parliamentary and democratic systems in other countries more easily available to the Members of the Legislature.

OTHER PROVISIONS IN THE LAW :

321. There are some other provisions in the law which have been criticised and not liked by those who function in the Legislatures and the People also.

322. There are some provisions which need refining and fine tuning.

323. The law can be made more stringent and more effective by having some salutary provisions introduced in it.

Committee for the Purpose :

324. A Committee to look into the matters relating to the Tenth Schedule for above mentioned purposes and for other purposes also can and should be constituted in consultation with the representatives of the Executive at the Centre, the Executive at the State level, the Representatives of the Presiding Officers of the Legislatures and Legislators, the Jurists and the Officers well versed in the matters—Parliamentary and Legislative—can be asked to give a comprehensive report for overcoming the difficulties and defects of the law within a short period. Then the report can be acted upon expeditiously.

Can we Have Some other Device ?

325. Can we have some other device for these purposes?

326. Can we introduce provisions in the Constitution which can ablviate the need to have a law of the nature we have now ?

327. Indications are that that is possible and can be done.

328. How exactly can it be done can not and need not be dealt with in detail at this place. What is to be perceived and remembered is that what is suggested is in the realm of possibility and should be examined and if found feasible, should be acted upon.

ORDER

1. It is held that the 20 Members of the Parliament who are signatories to the Application marked as 'D1' were the Members of the Parliament on 7-8-1992.

2. The request made by them in the Application is allowable and is allowed with respect to the sitting Members at this point of time.

3. *Under the Tenth Schedule of the Constitution of India and the Members of Lok Sabha (Disqualification on the ground of Defection) Rules*, 1985, *it is decided*—

(i) that S/Shri Ram Sundar Das, Govind Chandra Munda, Ghulam Mohammed Khan and Ram Badan have incurred disqualification for being Member of the Lok Sabha and have ceased to be the Members of the Lok Sabha with effect from the date of this order.

(ii) that the petitions filed by Shri V. P. Singh against S/Shri Anadi Charan Das, Suryanarayan Yadav, Ramlakhan Singh Yadav, Ram Sharan Yadav, Roshan Lal, Arjun Singh Yadav, Abhay Pratap Singh and Upendranath Verma, MPs are dismissed.

(iii) that the petition filed by Shri Srikant Jena against S/Shri Ajit Singh, Rashid Masood, Harpal Panwar, and Satyapal Singh Yadav, MPs is dismissed.

(iv) that the Petition filed by Shri Srikant Jena against S/Shri Rajnath Sonkar Shastri, Ramnihore Rai, Ram Awadh and Shiv Sharan Verma is dismissed.

on the ground that when they separated on 7-8-1992, they were sitting Members of the Lok Sabha and were equal to 1/3 Members of Janata Dal Legislature Party.

Copies of this order be forwarded to the Petitioners, the Persons/Members in relation to whom the Petitions are made and to the Leader of the Janata Dal Legislature Party in Lok Sabha.

SHIVRAJ V. PATIL
Speaker, Lok Sabha.

Parliament House,
New Delhi,
Dated the 1st June, 1993

[No. 46/1/92/T]
C. K. JAIN, Secretary-General

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993